

दिसम्बर 2023






कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

आत्मनिर्भर गाँव



Publications Division is now on amazon.in



More than 400 live titles of books Available

- Rashtrapati Bhavan Series
- Gandhian Literature
- Indian History
- Personalities & Biographies
- Speeches and Writings
- Art & Culture
- Exam Preparation
- Children's Literature

Visit Our Store at Amazon.in



Scan this QR Code



Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

Our publications are also available online at:

www.bharatkosh.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

For placing orders, please contact: Ph : 011-24365609, e-mail: businesswng@gmail.com



[/publicationsdivision](https://www.facebook.com/publicationsdivision)




[/dpd_india](https://www.instagram.com/dpd_india)



[DPD_India](https://twitter.com/DPD_India)



[YojanaJournal](https://www.x.com/YojanaJournal)



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष : 70 ★ मासिक अंक : 2 ★ पृष्ठ : 52 ★ अग्रहायण-पौष 1945 ★ दिसम्बर 2023

इस अंक में

प्रधान संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना
संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

वार्षिक साधारण डाक : ₹ 230

ट्रैकिंग सुविधा के साथ : ₹ 434

नोट : सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play या Amazon पर लॉग-इन करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश

प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई-मेल : pdjuicir@gmail.com या दूरभाष : 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कॅरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

आत्मनिर्भर होते गाँव : पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका 5
-गिरिराज सिंह

आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम: जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण के जरिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का मॉडल 10
-सौरभ ऋषि, शशांक शाह

प्रयोगशाला से खेतों तक : किसानों का तकनीकी सशक्तीकरण 15
-डॉ. निमिष कपूर

उद्योगों से मजबूत होती आत्मनिर्भर गाँव की संकल्पना 21
-शिशिर सिन्हा

'लखपति दीदी' एक अनूठी पहल 26
-सरला मीणा

डिजिटल रूप से सशक्त गाँवों की ओर 30
-डॉ. हरवीन कौर

गाँवों में आर्थिक विकास को बढ़ावा 36
-डॉ. हरेंद्र राज गौतम

आत्मनिर्भर गाँव में कृषि की भूमिका 40
-गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन', डॉ. शम्भूनाथ सिंह

पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर 47

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैफ्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

अपनी समृद्ध विरासत के लिए भारत विश्व भर में जाना जाता है। भारत की पारम्परिक और सांस्कृतिक विविधता आज भी गाँवों में संरक्षित और प्रचलित है। गाँधीजी के शब्दों में 'भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है।' गाँधीजी स्वतंत्र भारत के विकास में गाँवों के महत्व पर जोर देते थे और गाँवों के लिए पूरक उद्योग के विचार का समर्थन करते थे। गाँधीवादी दृष्टिकोण आत्मनिर्भर समुदायों और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच संतुलन पर केंद्रित है। एक आर्थिक इकाई के रूप में 'आत्मनिर्भर गाँव' की अवधारणा समकालीन पर्यावरणीय संकट का भी निर्विवाद समाधान है।

निसंदेह 'आत्मनिर्भर' गाँवों के निर्माण में पंचायतों की महती भूमिका है। इस अंक की कवर स्टोरी, जिसे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने लिखा है, आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हमारे देश में पंचायतों की भूमिका को रेखांकित करती है।

साढ़े छह लाख से अधिक गाँवों के विशाल भारत देश में 'आत्मनिर्भर गाँव' की परिकल्पना को साकार करने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश भर में फैले 101 आईसीएआर संस्थाओं, 71 कृषि विश्वविद्यालयों, 876 कृषि कॉलेजों और 731 कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से वैज्ञानिक उपलब्धियों और विस्तार सेवाओं को किसानों तक पहुँचाया जा रहा है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली है। इसके माध्यम से देश की प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अनुसंधानों को गाँवों में किसानों और खेतों तक पहुँचाया जा रहा है। सरकार कृषि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। 'गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि की भूमिका' और 'प्रयोगशाला से खेतों तक' लेख में इस सन्दर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई है।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 51 फीसदी औद्योगिक इकाइयां ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इनमें अकेले सूक्ष्म उद्योगों की हिस्सेदारी 324 लाख की है। रोजगार की बात करें तो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग जहां 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, उनमें से करीब पांच करोड़ ग्रामीण इलाके में हैं। 'उद्योगों से मजबूत होती आत्मनिर्भर गाँव की संकल्पना' लेख में इस सन्दर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई है।

स्वयं सहायता समूह गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। इस भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में 'लखपति दीदी' पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य 10 करोड़ स्वयं सहायता समूहों के बड़े परिवार की कम-से-कम दो करोड़ दीदियों को जल्दी से जल्दी सक्षम बनाना है। 'लखपति दीदी' एक अनूठी पहल लेख में हाल ही में शुरू की गई इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है।

संक्षेप में, गाँवों में बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे तक पहुँच संबंधी हाल की प्रगति से 'आत्मनिर्भर गाँव' की परिकल्पना के जल्द ही साकार होने की आशा है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी में प्रगति ने ग्रामीण समुदायों को दूरस्थ कार्य के लिए और कम लागत पर जोड़ा है। आज इंटरनेट और एआई के इस युग में रोजगार के अवसरों के लिए प्रवास जरूरी नहीं रह गया है। इन सभी प्रयासों के बीच सम्पूर्ण भारत में समृद्धि तभी संभव है जब गाँव स्वयं इस आंदोलन का नेतृत्व करें।

आत्मनिर्भर होते गाँव

पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका

-गिरिराज सिंह

गाँवों, ज़िलों और राज्यों को अपने-अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होना होगा। उसी प्रकार पूरे देश को आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर का मुँह न देखना पड़े। इसे हासिल करने में हमारे देश की ग्राम पंचायतें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गाँव की नींव भी होती हैं।

-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

24 अप्रैल, 2020 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस



हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह स्पष्ट मत है कि आत्मनिर्भर गाँव के निर्माण से ही आत्मनिर्भर राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। वर्तमान में भारत की लगभग 68 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और हमारा लगभग 51 प्रतिशत कार्यबल कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था में संलग्न है। ऐसे में गाँवों का सशक्तीकरण ही राष्ट्र का सशक्तीकरण है। भारत सरकार ने गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कदम पिछले एक दशक में उठाए हैं, वे ऐतिहासिक एवं दूरगामी हैं।

हमारी 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें, जो ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए जिम्मेदार हैं, गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए गए हर प्रयास को लागू करने के लिए एक प्रेरक शक्ति हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज



लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार हैं। ई-मेल : min-mopr@gov.in

मंत्रालय विभिन्न तरीकों से आत्मनिर्भर गाँवों के निर्माण की दिशा में सार्थक योगदान दे रहा है, जैसे पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, अपने स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित करने के लिए उनकी क्षमताओं का नए सिरे से आकलन करना, उन्हें डिजिटल अनुकूल बनाना, उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और भविष्य के जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए तैयार करना इत्यादि। यहां पंचायती राज मंत्रालय की उन योजनाओं/कार्यों/पहलों/गतिविधियों का उल्लेख किया जा रहा है जो आत्मनिर्भर पंचायतों की बुनियाद रख रहे हैं।

केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों से सशक्तीकरण

भारत सरकार पंचायतों के वित्तीय संसाधनों की पूर्ति के लिए फंड हस्तांतरित करती है। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के तहत अंतरित अवधि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपये एवं वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये का अनुदान 28 राज्यों को सभी त्रि-स्तरीय पंचायतों तथा परंपरागत स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है। यह अनुदान दो भागों में है, अर्थात् मूल (अबद्ध) अनुदान और बद्ध अनुदान। अबद्ध अनुदान का उपयोग, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, भारत के संविधान की अनुसूची XI के तहत निहित 29 विषयों पर महसूस की गई जरूरतों के लिए किया जा सकता है। बद्ध अनुदान का उपयोग बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से पेयजल और स्वच्छता के लिए ही किया जाना है। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा जारी अनुदानों से गाँवों में बुनियादी सेवाओं में सुधार हुआ है। केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आवंटन 12वें वित्त आयोग (2005-10) में 54 रुपये से बढ़कर 15वें वित्त आयोग (2021-26) में 674 रुपये हो गया।

सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) की पहल

सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र 'सबका साथ सबका विकास' को आत्मसात कर हम इस दिशा में सामूहिक प्रयत्नों के साथ अग्रसर हैं। यह देखते हुए कि भारत का लगभग 68% हिस्सा ग्रामीण है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति

*OSR-Own Source Revenue

के लिए गाँवों के जमीनी स्तर यानी पंचायत स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है।

इस दिशा में, पंचायती राज मंत्रालय ने एक रोडमैप तैयार किया है, जो 17 एसडीजी को नौ विषयगत क्षेत्रों में एकीकृत करता है ताकि लक्षित साक्ष्य आधारित पंचायत विकास योजनाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से, गाँवों में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायतों को मिल कर काम करने में मदद मिल सके। ये 9 थीम हैं: गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गाँव, स्वस्थ गाँव, बाल हितैषी गाँव, जल पर्याप्त गाँव, स्वच्छ और हरित गाँव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गाँव, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव, सुशासन से युक्त गाँव और महिला हितैषी गाँव।


सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकृत करके, देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों ने अपने गाँवों को स्थानीय स्तर पर निर्धारित गतिविधियों से संतृप्त करने का संकल्प लिया है और पंचायती राज मंत्रालय इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, और अब वे इन लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं। सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण करके उन्हें प्राप्त करने की यह मुहिम 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंचायतों को आर्थिक रूप से

आत्मनिर्भर बनाना

स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर)* पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को मजबूत करना महत्वपूर्ण है जिसमें संपत्ति कर, शुल्क, जुर्माना और अन्य उपकर जैसे स्थानीय स्रोतों से राजस्व सृजन बढ़ाने की पहल शामिल है। इसे बेहतर टैक्स अनुपालन, आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर हासिल किया जा सकता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग के एक अनुमान के अनुसार, 2019 की दरों के आधार पर 28 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गृह कर (हाउस टैक्स) से संभावित राजस्व लगभग 42159 करोड़ रुपये आंका गया है। हालाँकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 25 राज्यों



में सभी माध्यमों से एकत्र किया गया ओएसआर केवल 4953 करोड़ रुपये था। वर्तमान में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उत्पन्न ओएसआर कुल राजस्व का औसतन केवल 6-7% है (केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान निधियों को मिलाकर) जो 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान पंचायतों को आवंटित किया गया। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण भारत में स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाने की अभी पर्याप्त क्षमता है।

चूंकि पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन की संस्था के रूप में विभिन्न गतिविधियां निष्पादित करनी होती हैं एवं गाँवों का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं को लागू करना होता है, उनके लिए स्वयं के राजस्व स्रोत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण पंचायतों की अपनी विवशता होती है। उम्मीद है कि पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। यह धीरे-धीरे आगामी आठ वर्षों में 5000-6000 करोड़ रुपये से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये हो सकता है और पंचायतों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु एवं आवश्यक गतिविधियों को करने के लिए अपेक्षित क्षमता विकसित की जा सकती है।

पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय ग्रामीण निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोत के सृजन पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर उसकी रिपोर्ट को जारी किया है। समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें इस दिशा में पंचायतों का मार्गदर्शन करेंगी।

पंचायतों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

डिजिटलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी ने 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा को नया आकार दिया है और अब पंचायतें स्वयं

को मुख्यधारा के निर्णय लेने वाले चैनलों के साथ एकीकृत करने में पीछे नहीं हैं। इसने आत्मनिर्भर पंचायतों की गाथाओं में महत्वाकांक्षी अध्याय लिखे हैं।

'ई-पंचायत' राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत पंचायती राज संस्थाओं में प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक जन-भागीदारी के साथ अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी स्वशासन विकसित करने के लिए बनाया गया एक सार्थक और दूरगामी मिशन है। इस परियोजना का उद्देश्य देशभर की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों की आंतरिक कार्य प्रक्रिया को स्वचालित करना है। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कई ई-गवर्नेंस पहल शुरू की गई हैं।

ग्राम मानचित्र वर्ष 2019 में लांच किया गया था। इस अनुप्रयोग को विभिन्न मंत्रालयों के जैसे जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी और उप केंद्रों (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंकिंग पत्राचार आदि जैसी बैंकिंग सुविधाओं के स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इस अनुप्रयोग को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) रिपोर्ट, मिशन अंत्योदय एवं मिशन अंत्योदय अंतराल विश्लेषण एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित रिसोर्स एनवलप से भी जोड़ा गया है। यह सारी जानकारी एक विंडो पर उपलब्ध है, जो कि ग्राम पंचायत उपयोगकर्ता को एकीकृत विकास तथा कस्बों और शहरों पर कम निर्भरता की दिशा में एकीकृत योजना के कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करेगी।

एक कार्य आधारित एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में ई-ग्राम स्वराज को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2020





को लॉन्च किया गया। ई-ग्राम स्वराज के लेखांकन माड्यूल का पीएफएमएस के साथ एकीकरण (ईजीएसपीआई) पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है, जैसे कि केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत किया गया व्यय आदि। ईजीएसपीआई एक तरह का इंटरफेस है जो ग्राम पंचायतों को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान करने के लिए है। अब तक 2,63,043 पंचायती राज संस्थाएं ई-जीएसपीआई से जुड़ चुकी हैं, और 2,33,433 पंचायती राज संस्थाओं ने कुल मिलाकर 1,59,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन भुगतान किया है।

पंचायतों के द्वारा की जाने वाली खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्राम स्वराज (ईजीएस) को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के साथ एकीकृत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल, 2023 को रीवा, मध्य प्रदेश में ई-ग्राम स्वराज जैम पोर्टल को लांच किया। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए जैम (GeM) के माध्यम से अपना सामान और सेवाएं खरीदने में सक्षम बनाएगा। ईजीएस-जीईएम एकीकरण से स्थानीय उत्पादकों/सहकारी समितियों/कारीगरों/स्वयं सहायता समूहों आदि को अपने उत्पाद सीधे सरकारी संस्थाओं को बेचने की सुविधा मिलेगी, जिससे 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को बल मिलेगा। यह आर्थिक विकास के प्रयासों में न केवल 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने बल्कि सामाजिक समावेशन की दिशा में भी एक कदम है जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को मजबूत करेगा।

ग्राम ऊर्जा स्वराज की दिशा में पहल

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' के विज्ञान को बढ़ावा

देने का प्रयास किया है। 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' का दृष्टिकोण नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को समायोजित करने और संबोधित करने का एक प्रयास है।

शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी पंचायती राज मंत्रालय ने पहल की है। मंत्रालय केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके पंचायतों के लिए स्थानीय जलवायु कार्ययोजना तैयार करने की सुविधा प्रदान करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाने के प्रति ग्राम पंचायतों की उपयुक्तता और रुझान का पता लगाने के लिए 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' डेशबोर्ड लॉन्च किया है।

ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान के तहत, कई ग्राम पंचायतों ने राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियों के सहयोग से अपने स्वयं के कार्यान्वयन मॉडल विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की ओडनथुराई ग्राम पंचायत का अपना स्वयं का पवन ऊर्जा संयंत्र है, महाराष्ट्र की टिकेकरवाड़ी ग्राम पंचायत ने पीपीपी मोड पर बायोगैस प्लांट स्थापित किया है और केरल की पलक्कड़ जिला पंचायत का मीनवलम प्रोजेक्ट सूक्ष्म पनबिजली उत्पादन के लिए देशभर में पंचायत के द्वारा अपनी तरह का पहला उपक्रम है। कई पंचायतों ने सोलर रूफ टॉप मॉडल, सोलर रसोई, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग और पंचायतों के



तमिलनाडु की ओडनथुराई ग्राम पंचायत का 350 किलोवाट का पवन ऊर्जा संयंत्र इस समय हर वर्ष करीब 675000 यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा है।



स्वामित्व वाली सोलर हाई-मास्ट लाइट जैसे सौर ऊर्जा मॉडल अपनाए हैं। सतत ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के ये मॉडल पंचायतों को न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे बल्कि अधिशेष ऊर्जा उत्पादन से राजस्व अर्जित करेंगे और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।

संपत्ति का अधिकार प्रदान करने वाली 'स्वामित्व' योजना-संपत्ति के मुद्रीकरण की राह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को 'स्वामित्व' योजना का शुभारंभ कर ग्रामीण भारत में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का एक नया आयाम स्थापित किया। 'स्वामित्व' योजना का उद्देश्य, बसे हुए ग्रामीण इलाकों में जिनके पास अपने घर हैं, ऐसे ग्रामीण घर के मालिकों को 'अधिकार का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है, जो राज्य राजस्व या पंचायती राज अधिनियमों द्वारा समर्थित हैं। इससे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा भी मिलेगी। संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंक से ऋण लेकर देश के कई ग्रामीण युवाओं ने अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ किया है। इसके साथ ही, ग्रामीण संपत्ति का मूल्य भी बढ़ रहा है जिससे आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

'स्वामित्व' योजना के तहत ड्रोन सर्वे एवं क्रास-ओरिजिनल संसाधन साझाकरण (सीओआरएस) तकनीक से निर्मित उच्च रिजॉल्यूशन मानचित्र (5 सेमी. सटीकता) पंचायतों के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं जिनका उपयोग संपत्ति रजिस्ट्रों को अद्यतन करने और संपत्तियों की सटीक तथा अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जिससे पंचायतों को संपत्ति कर क्षमता का आकलन करने का तेज और सटीक तरीका मिलेगा। संपत्ति कर संग्रहण पंचायतों के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत का सबसे बेहतर माध्यम है जिससे पंचायतें आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

'स्वामित्व' योजना ने गाँवों के सुनियोजित विकास के रास्ते भी खोले हैं। 'स्वामित्व' योजना के नक्शों का उपयोग पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाने में कर रही हैं। अब तक देश के एक लाख से अधिक गाँवों में 1.61 करोड़ संपत्ति कार्ड बन चुके हैं एवं 2.87 लाख गाँवों में ड्रोन उड़ान का कार्य पूर्ण हो चुका है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने, 2047 में हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक, अमृतकाल के दौरान भारत को एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत बनने का यह महान लक्ष्य गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की अपेक्षा करता है जिसके लिए पंचायतों का योगदान सराहनीय है। □

आकांक्षी ज़िला और ब्लॉक कार्यक्रम जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण के ज़रिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का मॉडल

-सौरभ ऋषि
-शशांक शाह



एडीपी और एबीपी द्वारा सक्षम तीव्र और विकेंद्रीकृत विकास ने नागरिकों के कल्याण और उनकी विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मज़बूत नींव रखी है। दूरदराज के ज़मीनी स्तरों तक पहुँच कर, इन पहलों ने एक समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के विज़न को साकार करने की सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को उजागर किया है। यह प्रत्येक भारतीय को उम्मीद देता है कि 2047 में 'विकसित भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है।

हिमालय में बसा चम्बा हिमाचल प्रदेश का एक उत्तर-पश्चिमी ज़िला है। प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर होने के बावजूद, ज़िले को अपने पहाड़ी इलाके और कठोर जलवायु परिस्थितियों के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लगभग 5 लाख की आबादी के साथ, जिसमें से 93% ग्रामीण हैं, ज़िले को कम जनसंख्या घनत्व वाले दूरदराज के स्थानों पर लागत प्रभावी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हालांकि पिछले पांच वर्षों के दौरान, चम्बा ने अंतिम मील तक पहुँचने और यह सुनिश्चित करने में काफी प्रगति की है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। उदाहरण के लिए ज़िला प्रशासन ने

दूरदराज के स्थानों पर बुनियादी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल इकाइयों की सेवाएं शुरू की हैं। परिणामस्वरूप गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव-पूर्व देखभाल में 70% से 90% तक सुधार हुआ है, और संस्थागत प्रसव 40% से 80% यानी दुगुना हो गया है। इसने क्षेत्र में एमएमआर/आईएमआर पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जन्स) और सीएसआर अनुदानों से चम्बा में सीखने के प्रतिफल में सुधार के लिए सामुदायिक पुस्तकालय और पहाड़ी ढलानों पर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। चम्बा की तरह, कई जिलों को ऐतिहासिक रूप से अपनी

लेखक नीति आयोग, भारत सरकार में वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं। ई-मेल : saurabh.rishi@gov.in; shashank.shah@gov.in

भौगोलिक स्थिति या जनसांख्यिकीय संरचना के कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

भारत एक बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र है जो अपनी समृद्ध विविधता से विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। यह समृद्धि विभिन्न भाषाओं और जीवनशैली में प्रकट होती है। हालाँकि यह विविधता नागरिकों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को भी जन्म देती है। जहां कुछ क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हो रहा है, वहीं अन्य क्षेत्रों को पिछड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है। असमानता के कारण अलग-अलग हैं-कठिन भौगोलिक भू-भाग, संसाधनों की कमी, ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक उपेक्षा और निर्बलता, अकुशल प्रशासन और नागरिक अशांति, आदि। इन मुद्दों से निपटने और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों में समान सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2018 में जमीनी-स्तर पर बेहतर प्रशासन पर ध्यान देने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)* लॉन्च किया गया।

उत्पत्ति और परिणाम


आकांक्षी जिला कार्यक्रम-एडीपी की उत्पत्ति भारत के विकास को तीव्र करने के लिए 100 से अधिक पिछड़े जिलों के तेजी से विकास के प्रधानमंत्री के विज्ञान में निहित है। इसे प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने आकांक्षी जिला फ्रेमवर्क तैयार किया, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अविकसित जिलों (जिन्हें आकांक्षी जिला-एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नाम दिया गया) की पहचान करने के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक जटिल और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई प्रक्रिया थी।

व्यापक क्षेत्र दौरों ने, द्वितीयक आँकड़ों के पूरक के तौर पर, प्रासंगिक जमीनी-स्तर का डेटा प्रदान किया। इस कठोर चयन ने भारत सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी विकेन्द्रीकृत विकास हस्तक्षेपों में से एक को जन्म दिया। कार्यक्रम लागू करने के पाँच वर्ष बाद, जिसे 112 जिलों में एक जन-आंदोलन के रूप में लागू किया गया, ने अभिसरण (योजनाओं के), सहयोग (सभी हितधारकों के बीच) और प्रतिस्पर्धा (जिलों के प्रमुख संकेतकों के बीच) के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करके सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में जमीनी-स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार किया। 30 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एकत्रित 3,000 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, 'एडीपी सभी योजनाओं में, जिन्हें भारत सरकार ने आजादी के बाद से लागू किया है, शीर्ष 10 की सूची में सुनहरे अक्षरों में अपना स्थान पाएगा।'

नवोन्वेष्टी एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण

एडीपी ने त्वरित और समावेशी मानवीय विकास के लिए बेहतर प्रशासन पर केंद्रित 'प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद' का एक

*ADP-Aspirational District Programme



नया मॉडल पेश किया। इसने मौसमी साइलो-संचालित योजनाओं को नियमित परिणाम-आधारित समीक्षाओं में बदल दिया। इसने जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए, तीन तरीकों से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। सबसे पहले, हालाँकि नीति आयोग ने इस पहल को केंद्रीय रूप से संचालित किया, राज्य प्राथमिक चालक थे। जिला कलेक्टरों ने एकीकृत स्थानीय कार्ययोजना तैयार करते हुए, कमियों को दूर करने के लिए, जमीनी-स्तर की भागीदारी को उत्प्रेरित किया। दूसरे, फोकस 'इनपुट' से 'परिणामों' पर स्थानांतरित हो गया। राज्यों के औसत बनाए रखने और अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रखने हेतु जिलों के लिए स्पष्ट सफलता मेट्रिक्स परिभाषित किए गए। तीसरा, एडीपी ने बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। एक रियल टाइम डैशबोर्ड ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे सहित पांच क्षेत्रों में, मासिक आधार पर 49 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को ट्रैक किया। इसने डेटा-आधारित रैकिंग के माध्यम से निरंतर निगरानी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सक्षम किया। इस प्रकार, यह कार्यक्रम डेटा-संचालित प्रशासन के माध्यम से, साक्ष्य-आधारित नीति हस्तक्षेप के एक अद्वितीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है।

पिछली पहलों के आधार पर, जिन्होंने इन क्षेत्रों को अनुदानों के साथ समर्थन दिया है, कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान अंतिम मील तक सरकारी सेवा वितरण की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर क्षमता निर्माण करना है। इसने बुनियादी सेवाओं जैसे पक्के मकान, सभी मौसम के अनुकूल सड़कें, बिजली, नल के पानी के कनेक्शन, लचीली स्वास्थ्य अवसंरचना, वित्तीय समावेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान और आय सृजन में सहायता के लिए कौशल विकास को सक्षम करने के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया है।

जिलों में कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय बनाने में

भारत की प्रगति पर बड़ा प्रभाव डाला है। घरेलू बिजली कनेक्शन और व्यक्तिगत शौचालय जैसे कुछ संकेतक अधिकांश आकांक्षी जिलों (एडी) में संतुष्टि स्तर के करीब पहुँच गए हैं।

भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई अन्य ने एक मजबूत आधार बनाया जिसने एडीपी के तहत तेजी से परिवर्तन को उत्प्रेरित किया और भारत के भीतरी इलाकों में सामाजिक-आर्थिक कल्याण के दृश्यमान विस्तार को सक्षम बनाया।

महत्वपूर्ण सफलता कारक

एडीपी की मुख्य रणनीति जमीनी स्तर पर शासन में सुधार के लिए प्रक्रिया पुनर्रचना और नवाचारों पर आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण सफलता कारकों में शामिल हैं:

1. सकारात्मक नामकरण : चयनित जिलों को 'पिछड़ा' के बजाय 'आकांक्षी' कहा जाता है, क्योंकि वे पहले अपने राज्य में और उसके बाद देश में 'सर्वश्रेष्ठ' बनने की आकांक्षा रखते हैं। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण जिला प्रशासन और इन जिलों के लोगों में सकारात्मकता की भावना पैदा करना है ताकि वे देश के बाकी हिस्सों के लिए प्रेरणा बन सकें।

2. प्राथमिकता का सिद्धांत : कार्यक्रम प्राथमिकता के सिद्धांत को अपनाता है जो भौगोलिक क्षेत्रों, क्षेत्रों और समुदायों की पहचान करता है। प्राथमिकता वाले सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का उपयोग करके एडी का सावधानीपूर्वक चयन किया गया है। इसी प्रकार, समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी सामाजिक सेवाओं की पहचान की गई है जिन्हें संतुष्ट किया जा सकता है।



**आकांक्षी जिलों में
संभावनाओं के खुलते द्वार**

“एडीपी स्थानीय क्षेत्र विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल है। यह 'किसी को पीछे न छोड़ें' के सिद्धांत से जुड़ा है- जो एसडीजी का महत्वपूर्ण मूल है। इसे कई अन्य देशों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में काम करना चाहिए जहां विकास की स्थिति में क्षेत्रीय असमानताएं कई कारणों से बनी हुई हैं।”

-यूएनडीपी

3. शासन में नवाचार : स्थिर कार्यकाल के साथ गतिशील जिला प्रशासन के जरिए जमीन पर तेजी से प्रगति करने का सरकार का प्रयास रहा है। एडी ने पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन समाधान अपनाए हैं। सभी स्तरों पर शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता भी इस प्रगति में एक प्रेरक कारक रही है।

4. प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद : मजबूत निगरानी और डेटा-संचालित शासन, कार्यक्रम के तहत एक केंद्रीय रणनीति रही है। 49 सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन संकेतक इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट और परिणाम संकेतकों का मिश्रण है जो एसडीजी प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक हैं। अधिक विकसित जिलों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने और बेंचमार्किंग के लिए एडी को संकेतों में किए गए सुधार के आधार पर समय-समय पर रैंक किया जाता है।

5. क्षैतिज अभिसरण और सहयोग : सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला विभागों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। नागरिक समाज संगठनों और विकास भागीदारों के साथ अभिसरण एक प्रभावी कार्यान्वयन रणनीति रही है।

6. लंबवत सहयोग : यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और जिला प्रशासन के बीच सहयोग पर केंद्रित है। उन्हें सलाह देने और प्रशासनिक स्तरों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक एडी के लिए वरिष्ठ स्तर के केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

7. साथ-साथ सीखना और व्यवहार परिवर्तन : एडी का समुदाय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और बेंचमार्किंग के माध्यम से एक-दूसरे से लाभान्वित होता है। अंतर-राज्य कार्यशालाओं, क्रॉस-विजिट और डिजिटल मास्टरक्लास के माध्यम से, समान भौगोलिक क्षेत्रों में पिछड़े जिले प्रतिस्पर्धी भावना से अच्छा प्रदर्शन करने वाले सहकर्मी जिलों की सफलता और नवाचारों से सीख सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं।

इस प्रकार, एडीपी ने इष्टतम संसाधन आवंटन, वास्तविक समय की निगरानी और जिला प्रशासन की क्षमता निर्माण के माध्यम से समग्र सुधार को सक्षम किया। यहां तक कि दूरदराज के क्षेत्रों ने भी प्रगति की है और पुष्टि की है कि अगर सामूहिक प्रतिबद्धता मजबूत हो तो विकास हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम की अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में, यूएनडीपी ने उल्लेख

किया कि “एडीपी स्थानीय क्षेत्र विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल है। यह 'किसी को पीछे न छोड़ें' के सिद्धांत से जुड़ा है— जो एसडीजी का महत्वपूर्ण मूल है। इसे कई अन्य देशों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में काम करना चाहिए जहां विकास की स्थिति में क्षेत्रीय असमानताएं कई कारणों से बनी हुई हैं।”

उप-राष्ट्रीय परिवर्तन

एडीपी ने उप-राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और स्केल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया, ताकि प्राप्त सकारात्मक परिणाम स्थानीय भूगोल और जनसांख्यिकी के अद्वितीय संदर्भ में हों। उदाहरण के लिए, झारखंड में लोहरदगा जिला, जोकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, ने पहली तिमाही के भीतर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण बढ़ा दिया है। राजस्थान में करौली, अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और त्रिपुरा में धलाई जैसे जिलों में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत औसतन 40% से बढ़कर 90% से अधिक हो गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जैसे कई जिले, जहां 2018 तक 50% से कम बच्चों का टीकाकरण हुआ था, वहां पिछले पांच वर्षों में टीकाकरण दर 90% से ऊपर चली गई है। असम में दरांग, बिहार में शेखपुरा और तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुदम में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में भारी कमी आई है। असम में गोलपारा और मणिपुर में चंदेल जैसे जिलों ने पशु टीकाकरण 85% से अधिक तक बढ़ा दिया गया है।

एडी ने एन एफ एच एस-4 की तुलना में नवीनतम एन एफ एच एस-5 सर्वेक्षण परिणामों में भी महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है, खासकर उन संकेतकों में जिन्हें कार्यक्रम में भी ट्रेक किया जाता है। प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण में, उत्तर प्रदेश और बिहार के एडी में 36% से 56% तक सुधार हुआ है, और मध्य प्रदेश में 47% से 71% तक सुधार हुआ है। संस्थागत प्रसव में

विकास को और विकेंद्रीकृत करने और एडीपी की सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे कठिन और अविकसित ब्लॉकों में योजनाओं की 100% संतृप्ति कवरेज के लिए स्थानीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) लॉन्च किया। एबीपी में ब्लॉकों का चयन मानव विकास के प्रमुख पहलुओं को कवर करने वाले विभिन्न मापदंडों और संकेतकों के आधार पर किया गया।

उत्तर प्रदेश के जिलों में 53% से 79% और बिहार के जिलों में 62% से 74% का सुधार हुआ है। एनएस-2021 सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्थान का धौलपुर जिला ग्रेड और विषयों में सीखने के परिणामों में सुधार करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक रहा है। जबकि कुछ एडी ने विशिष्ट क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता हासिल की है, कुछ अन्य ने समग्र परिवर्तन और कई मापदंडों पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में रैंक हासिल की है। इनमें गुजरात में दाहोद, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर (कडपा), तमिलनाडु में विरुधुनगर और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बारामूला शामिल हैं। सामुदायिक भागीदारी और संसाधनों का लाभ उठाने वाले संदर्भ-विशिष्ट समाधानों ने अधिकांश एडी को उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

हालाँकि एडी ने अच्छी प्रगति की है, फिर भी विकास के मामले में अंतर-जिला भिन्नता मौजूद है क्योंकि कई जिले क्षेत्रफल या जनसंख्या के मामले में बहुत बड़े हैं। विकास खंड यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास का आनुपातिक हिस्सा आबादी के हाशिए पर और कमजोर वर्गों तक पहुँचे। ब्लॉक यह सुनिश्चित करता है कि 'एक आकार-सभी के लिए फिट' दृष्टिकोण लागू नहीं किया जाए। इसके बजाय, क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर अनुकूलित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया को जमीन से भी जोड़ा जा सकता है।

विकास को और विकेंद्रीकृत करने और एडीपी की सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे कठिन और अविकसित ब्लॉकों में योजनाओं की 100% संतृप्ति कवरेज के लिए स्थानीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) लॉन्च किया। एबीपी में ब्लॉकों का चयन मानव विकास के प्रमुख पहलुओं को कवर करने वाले विभिन्न मापदंडों और संकेतकों के आधार पर किया गया। 500 आकांक्षी ब्लॉक (एबी) का चयन राज्यों के परामर्श से एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा किया गया है और ये 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 329 जिलों में स्थित हैं। इनमें से लगभग आधे ब्लॉक पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में हैं। चयन में आदिवासी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों के ब्लॉक भी शामिल हैं। लगभग एक-तिहाई

नीति आयोग

असम में हेलाकांडी में कन्या तरु योजना के तहत बालिकाओं के अभिभावकों को 5 छोटे पौधे गिफ्ट किए जाते हैं।

#भारत के बढ़ते कदम



एबी 112 एडी में हैं और दो-तिहाई 217 अन्य जिलों में हैं, इस प्रकार देश के लगभग आधे जिले कवर होते हैं।

एडीपी की तर्ज पर, एबीपी के तहत मुख्य रणनीति सामाजिक विकास (सामाजिक विकास) और क्षेत्रीय विकास (क्षेत्रीय विकास) सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर बेहतर प्रशासन और कार्यान्वयन के माध्यम से बुनियादी सेवा वितरण को मजबूत करना है। इसे निम्नलिखित तरीकों से हासिल किया जाएगा:

1. क्षमता निर्माण : योजनाओं का प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एबीपी ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का निरंतर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करता है। क्षमता निर्माण मॉड्यूल और मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करना एबीपी का एक केंद्रीय हिस्सा रहा है। पिछली दो तिमाहियों में भारत भर में ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को 'परिवर्तन' के नेता के रूप में विकसित करने के लिए आयोजित किए गए नेतृत्व प्रशिक्षण से लगभग 5,000 बीएलओ लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार, एडीपी में अपनाए गए जिला-संचालित दृष्टिकोण के विपरीत, एबीपी बीएलओ को सशक्त बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

2. ब्लॉक विकास रणनीति : एबीपी एक मजबूत ब्लॉक विकास रणनीति (बीडीएस) विकसित करने के लिए ब्लॉकों का समर्थन करता है। एबी एक एसडब्ल्यूओटी (SWOT) विश्लेषण करते हैं और कमजोरियों और खतरों को दूर करने के तरीकों और उपायों को विकसित करते हुए शक्ति और अवसरों को अधिकतम करने के लिए रणनीति तैयार करते हैं। एबी स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास सहित पांच क्षेत्रों में 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) में महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की भी पहचान करते हैं, जो सेवाओं की संतृप्ति हासिल करने और राज्य के औसत से आगे

निकलने में मदद कर सकते हैं। बीडीएस चिंतन शिविरों के माध्यम से और कई सामाजिक हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाता है। जागरूकता फैलाने और व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए अक्टूबर 2023 में 500 एबी की 20,000 ग्राम पंचायतों में एक सप्ताह का 'संकल्प सप्ताह' आयोजित किया गया।

3. ज्ञान पोर्टल : कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण और प्रसार के लिए एक ज्ञान पोर्टल शामिल है। सभी राज्य, जिले और ब्लॉक नियमित रूप से ज्ञान पोर्टल पर अपनी जमीनी-स्तर की सीख, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं का योगदान देंगे। कार्यक्रम के तहत निरंतर सीखने के लिए ज्ञान प्रबंधन के अंतर्गत एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

4. संस्थागत सहायता : कार्यक्रम कार्यान्वयन में ब्लॉक और जिला प्रशासन की सहायता के लिए प्रत्येक एबी में, तकनीकी सहायता के साथ, एक आकांक्षी ब्लॉक फेलो का प्रावधान किया गया है। प्रशासन के सभी स्तरों के लिए शासन में नवाचारों के लिए पुरस्कार और मान्यता की भी एबीपी के तहत परिकल्पना की गई है।

मुख्य चालक के रूप में राज्यों के साथ कार्यक्रम प्रत्येक एबी के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा, तत्काल सुधार के लिए कार्यान्वयन योग्य कार्यों की पहचान करेगा, प्रगति को मापेगा और ब्लॉकों को रैंक करेगा।

आकांक्षी और आत्मनिर्भर गाँव

एडीपी द्वारा सक्षम परिवर्तन और एबीपी के तहत शुरुआती फायदे इस बात को रेखांकित करते हैं कि सशक्त और प्रेरित नेतृत्व, हाइपर-स्थानीय योजना, परिणाम-केंद्रित रियल टाइम मॉनीटरिंग और अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से इष्टतम संसाधन उपयोग विकास को गति दे सकता है। हालाँकि सामुदायिक भागीदारी अभी भी आधारशिला बनी हुई है क्योंकि जिलों में संतोषजनक सुधार देखा गया है जहाँ लोग न केवल लाभार्थी थे बल्कि परिवर्तन के सक्रिय प्रतिनिधि थे। कार्यक्रमों की सफलता के लिए 'सबका प्रयास' उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 'सबका विकास'।

एडीपी और एबीपी द्वारा सक्षम तीव्र और विकेंद्रीकृत विकास ने नागरिकों के कल्याण और उनकी विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मजबूत नींव रखी है। दूरदराज के जमीनी स्तरों तक पहुँच कर, इन पहलों ने एक समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के विज्ञान को साकार करने की सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को उजागर किया है। महात्मा गाँधी का मानना था कि भारत की आत्मा इसके गाँवों में रहती है। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों की यात्रा की परिणति आकांक्षी और आत्मनिर्भर गाँव के रूप में होगी। यह प्रत्येक भारतीय को उम्मीद देता है कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है। एक सामाजिक-आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गाँव अमृतकाल के विज्ञान को साकार करने की नींव है।





प्रयोगशाला से खेतों तक किसानों का तकनीकी सशक्तीकरण

-डॉ. निमिष कपूर

गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा लक्ष्य किसानों और गाँवों को तकनीकी रूप से सम्पन्न बनाने में निहित है। देश की प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अनुसंधानों को गाँवों और खेतों तक पहुँचाया जा रहा है। देश में 'लैब टू लैंड' प्रयासों से किसानों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के साथ-साथ प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अनुसंधानों और संसाधनों को सीधे गाँवों तक पहुँचाया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन और समावेशी विकास ग्रामीण भारत के विकास के केंद्र बिंदु रहे हैं। देश की प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकियाँ आत्मनिर्भर गाँवों के लिए तकनीकी सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज प्रौद्योगिकी को समाज और गाँव केंद्रित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के सामंजस्य और खेतों तक पहुँच से बेहतर कृषि उत्पादकता, सामाजिक-आर्थिक समानता और सतत विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण आत्मनिर्भरता, तकनीकी समझ और कृषि प्रौद्योगिकी से लेकर कौशल विकास की परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ देश के गाँवों में सृजित हो रही है।

भारत में करीब साढ़े छह लाख गाँव हैं, छह हजार से

अधिक ब्लॉक हैं, और सभी पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासित हैं। भारत के अन्नदाता गाँवों में बसते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा लक्ष्य किसानों और गाँवों को तकनीकी रूप से सम्पन्न बनाने में निहित है। देश की प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अनुसंधानों को गाँवों और खेतों तक पहुँचाया जा रहा है। देश में 'लैब टू लैंड' प्रयासों से किसानों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के साथ-साथ प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अनुसंधानों और संसाधनों को सीधे गाँवों तक पहुँचाया जा रहा है।

लेखक विज्ञान संचारक एवं विज्ञान प्रसार में वैज्ञानिक हैं। ई-मेल : nimish.vp@gmail.com

लेवेंडर की खेती से बैंगनी क्रांति का आरंभ

कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2023



पुष्पखेती मिशन के अंतर्गत लहलहाते फूल

अरोमा मिशन और पुष्पखेती मिशन- फूलों का तेल किसानों के लिए लाभ का सौदा

किसान समुदाय में तकनीकी आत्मनिर्भरता को उत्प्रेरित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अरोमा और पुष्पखेती मिशन में सुगंधित फसलों की खेती आरंभ की गई है। इसके तहत 14,500 से 27,500 हेक्टेयर क्षेत्र पर कार्य किया गया। सीएसआईआर ने उन तकनीकों के माध्यम से उद्यमशीलता भी विकसित की है, जो सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण, उच्च सुगंध वाले रसायनों और उत्पादों के लिए मूल्यवर्धित सुगंधित फसलों को बढ़ावा देती हैं।

अरोमा मिशन के अंतर्गत सुगंध उद्योग के विकास और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास में हस्तक्षेप के माध्यम से सुगंध क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के प्रयास किए गए हैं। इस मिशन के

अरोमा मिशन की शुरुआत लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से हुई। यह प्रसिद्ध मिशन 2016 में शुरू किया गया था, जिसे लैवेंडर या बैंगनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय स्तर पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एकीकृत 'अरोमा डेयरी उद्यमिता' की भी योजना बनाई गई है। लैवेंडर की खेती से जम्मू-कश्मीर के 10 जिलों में 1000 से अधिक कृषक परिवारों को लाभ मिला है और उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। भारत कुछ वर्ष पूर्व तक लेमनग्रास, आवश्यक तेल के आयातकों में से एक था, अब दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है।

तहत 6000 हेक्टेयर को खेती के दायरे में लाया गया है, जिसमें 46 जिले शामिल हैं। लगभग 44,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया और 231 डिस्टिलेशन इकाइयां स्थापित की गईं और 500 टन आवश्यक तेल तैयार किया गया।

पुष्पखेती मिशन के तहत लाहौल और स्पीति में ट्यूलिप कंद उत्पादन से रोपण सामग्री के आयात को कम करने में मदद मिली है। अरोमा और फ्लोरीकल्चर मिशन की सफलता के साथ-साथ हींग और दालचीनी जैसी फसलों की शुरुआत की गई है। ये मिशन आजीविका के अवसर पैदा करने और आयात को कम करने की दिशा में बड़े कदम हैं। भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है और केसर की खेती का दायरा बढ़ाया गया है। जंगली जानवरों से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सुगंधित गेंदा प्रौद्योगिकी सीएसआईआर में विकसित की गई है। तुलसी, जिरेनेयम, मेंथा, गेंदा और गुलाब जैसे पौधों के अर्क से बने सुगंधित तेलों का उपयोग दवाइयों, कॉस्मेटिक उत्पादों, परफ्यूम और फूड इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर होता है।

दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत गेंदे के तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सगंध तेल उत्पादन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में उगायी जाने वाली जंगली गेंदे की टैजेटिस माइन्चूटा प्रजाति किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो रही है। जंगली गेंदे से मिलने वाली सुगंध या वाष्पशील तेल में फ्लेवर व सुगंध आधारित एजेंट पाए जाते हैं। सुगंधित गेंदा प्रौद्योगिकी द्वारा गेंदे से मिलने वाले तेल के उत्पादन से भारतीय किसानों के लिए बेहतर आमदनी के द्वार खुले हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जम्मू-कश्मीर का पल्ली गाँव

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गाँव को देश का पहला 'कार्बन न्यूट्रल' गाँव घोषित किया गया है, जो ग्रामीण भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। पल्ली में 340 घरों को गत वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सौर ऊर्जा की सौगात मिली। पल्ली में 500 केवी क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे कि यह गाँव ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। अब पल्ली पंचायत के घरों को स्वच्छ बिजली और प्रकाश मिल सकेगा, जिससे यह गाँव भारत सरकार के 'ग्राम ऊर्जा स्वराज' कार्यक्रम के तहत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बनकर उभरा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के अंतर्गत कार्यरत भारत सरकार के उद्यम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) द्वारा 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में पल्ली में ग्राउंड माउंटेड सोलर पॉवर (जीएमएसपी) संयंत्र स्थापित किया गया है।



पल्ली - देश का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव

प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और तरल अपशिष्ट से मूल्यवान पोटाश

सीएसआईआर द्वारा विटामिन डी2 समृद्ध शीटकेक मशरूम, खाने के लिए तैयार कुरकुरे फल और सब्जियां, पीने के लिए तैयार चाय, टी कैटेचिन, टी विनेगर, टी माउथवॉश के साथ-साथ औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों जैसे हींग, दालचीनी और केसर से संबंधित प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं, जिन्हें देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया जा रहा है।

सीएसआईआर द्वारा गन्ने के शीरे-आधारित अल्कोहल डिस्टिलरी में उत्पन्न स्पेंट वॉश (तरल अपशिष्ट) से मूल्यवान पोटाश की रिकवरी के लिए एक तकनीक विकसित की गई है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है।

किसानों को आपूर्ति शृंखला और माल परिवहन प्रबंधन

प्रणाली से जोड़ने के लिए सीएसआईआर द्वारा किसान सभा ऐप विकसित किया गया है। यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टों और कृषि उद्योग से जुड़ी अन्य संस्थाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। यह ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

गाँव का पानी गाँव में- उच्च रिजॉल्यूशन एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन मिशन

सीएसआईआर ने चयनित गाँवों में जल संसाधन बढ़ाने के लिए ग्राम स्तरीय जल प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना का नेतृत्व किया है। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से उत्तर-पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में उच्च-रिजॉल्यूशन एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन मिशन आरंभ किया गया है। मिशन के एक्विफर मैपिंग कार्यक्रम के तहत उन्नत हेलिबॉर्न भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों का उपयोग प्रारंभ किया गया है। अब तक एक लाख वर्ग किलोमीटर हेलिबॉर्न भू-भौतिकीय सर्वेक्षण डेटा राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्यों में एकत्र किया गया

ग्रामीण आत्मनिर्भरता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी योजनाएं

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य भारत के एकीकृत डिजिटल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। स्वास्थ्य सेवा उद्योग में शहर और गाँव या चिकित्सक और सुदूर क्षेत्रों के मरीजों के बीच की दूरी को पाटने के लिए डिजिटल मार्गों का विकास किया गया है।

नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) : सभी राज्यों की राजधानियों, जिलों और मुख्यालयों को ब्लॉक स्तर तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया है। मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), फाइबर (बीएसएनएल, रेलटेल और पॉवर ग्रिड) का उपयोग करके और नए फाइबर बिछाकर देश की 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। डार्क फाइबर नेटवर्क द्वारा बनाई गई बढ़ी हुई बैंडविड्थ से ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। इस प्रकार, ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच कनेक्टिविटी की दूरी को पाटने के प्रयास हो रहे हैं।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : डिजिटल इंडिया देश को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए भारत की प्रमुख पहल है। डिजिटल इंडिया में तीन आवश्यक क्षेत्र शामिल हैं: सभी नागरिकों के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा, शासन और ऑन-डिमांड सेवाएं, और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक सशक्तीकरण।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) : सीएससी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। सीएससी देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, शिक्षा, कृषि सेवाओं और विभिन्न प्रकार की व्यवसाय-से-उपभोक्ता सेवाओं के लिए पहुँच बिंदु के रूप में काम करता है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) : केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना का उद्देश्य उचित एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) विकसित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड में मौजूदा समानताओं का लाभ उठाना है।



महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) कार्यक्रम में महिला किसानों का प्रशिक्षण

है। इस सर्वेक्षण से मुंजासर, लोहावत ब्लॉक, जिला जोधपुर, राजस्थान में जल स्रोत की पहचान हुई है।

हाई रिजोल्यूशन ऐक्विफर मैपिंग में हेली-बोर्न भू-भौतिकीय मानचित्रण तकनीक ज़मीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक उप-सतह की हाई रिजोल्यूशन 3डी छवि प्रदान करती है। जल जीवन मिशन के मात्र दो साल के भीतर साढ़े चार करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पानी मिलना शुरू हो गया है। भूजल स्रोतों का मानचित्रण भूजल का उपयोग पेयजल के लिए प्रयोग करने में मदद करता है। 'हर घर नल से जल' मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में भी भूजल स्रोतों का मानचित्रण मददगार है।

उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क क्षेत्र राजस्थान, गुजरात,

हरियाणा और पंजाब राज्यों के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12% है और इस क्षेत्र में 8 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। 100 से 400 मिमी. से कम की वार्षिक वर्षा के साथ यह क्षेत्र पूरे वर्ष पानी की भारी कमी का सामना करता है। इस क्षेत्र में भूजल संसाधनों को और बढ़ाने के लिए भी हाई रिजोल्यूशन ऐक्विफर मैपिंग और प्रबंधन का प्रस्ताव है। इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य भूजल निकासी और संरक्षण के लिए संभावित स्थलों का मानचित्रण करना है और प्राप्त परिणामों का उपयोग शुष्क क्षेत्रों (एरिड एरिया) में भूजल संसाधनों के जलभृत मानचित्रण (ऐक्विफर मैपिंग), पुनर्जीवन (रिजुवेनेशन) और प्रबंधन के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

ग्रामीण आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) कार्यक्रम

ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के प्रयासों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महिला योजना के महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश में 46 महिला प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में इस योजना से 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत देहरादून की 280 ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया गया है और उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने तथा बेचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे बांस, जूट, खजूर के पत्तों को आभूषण उत्पादों एवं सजावट के सामान में बदलने का प्रशिक्षण दिया गया है और औषधीय पौधों की कृषि तकनीकों से अवगत कराया गया है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज द्वारा संचालित किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में भी महिला प्रौद्योगिकी पार्क योजना के अंतर्गत लगभग 350 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उन्हें हर्बल उत्पादों, खाद्यान्न सामग्री और कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पादों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। श्रीपद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति की शिक्षक टीम ने ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता क्षमताओं का पता लगाने के लिए घर-घर सर्वेक्षण किया। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों के स्कूल एवं कॉलेजों की लड़कियों से भी पूछा गया, ताकि उनके ज्ञान, कौशल में सुधार कर उद्यमिता के सपने को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से साकार किया जा सके। इस कार्यक्रम में 30 विभिन्न प्रकार के उत्पाद विकसित किए हैं, जिनमें खाद्य सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी मॉड्यूलेशन, अनुकूलन एवं प्रशिक्षण केंद्र

महिला प्रौद्योगिकी पार्कों को ग्रामीण एवं अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मॉड्यूलेशन, अनुकूलन एवं प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया है और इनमें कृषक समुदाय से जुड़ी महिला समूहों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षण केंद्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास और उन्हें अपनाने, लाभदायक सिद्ध हुई तकनीकों के अंतरण और प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के प्रदर्शन पर बल दिया जाता है, ताकि महिला रोजगार के साथ ग्रामीण आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जा सके। ये प्रशिक्षण केंद्र एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं, जहां विभिन्न संगठनों से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इन महिला समूहों को उपयुक्त तकनीकों की जानकारी प्रदान कर सकें, जिसे वे अपने खेतों अथवा अपने कार्य स्थल पर प्रयोग में ला सकें।

इन महिला समूहों ने जिन नवाचार तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण हासिल किया है, उनमें श्रेडर मशीन और विनिर्माण के लिए चुनिंदा ई-कचरे के कुछ अंशों का इस्तेमाल, सीएनसी हॉटवायर कटर, वैक्यूम की मदद से सुखाए गए फूलों और उड़ी चॉकलेट प्रिंटिंग मशीन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, जल्दी नष्ट होने वाली कच्ची सामग्रियों को बाजार की जरूरतों के मुताबिक परिवर्तित करने, खासकर शुद्ध नारियल तेल, प्राकृतिक नारियल सिरका, नारियल के रेशों से बनाए जाने वाले उत्पादों, हर्बल उत्पादों, फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने की जानकारी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी आधारित मूल्य वृद्धि से न केवल इनकी आय में इजाफा हो रहा है, बल्कि इसके जरिए वे ऐसे उत्पादों के भंडारण और उपयोग में लाई जाने वाली अवधि को भी बढ़ा सकती हैं।

इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड*) विभाग और टेक्नॉलजिकल एड्वांसमेंट फॉर रूरल एरियाज (तारा*) योजना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड) विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण आत्मनिर्भरता और सुदूर क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी पात्रता का विकास कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, प्रकाश और स्वच्छ ईंधन, कृषि और पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण



प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचता विज्ञान और प्रौद्योगिकी - आत्मनिर्भर होते गाँव



ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति के लिए टेक्नॉलजिकल एडवॉन्समेंट फॉर रूरल एरियाज योजना

जैसे क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकों को सर्वसुलभ बनाते हुए, दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय प्रौद्योगिकी क्षमताओं का निर्माण भी किया जा रहा है। इन वैज्ञानिक ग्रामीण योजनाओं में स्थान विशिष्ट चुनौतियों की पहचान के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों के साथ वैज्ञानिक समाधानों पर कार्य किया जाता है। ग्रामीण, दूरदराज और कठिन इलाकों में रहने वाले समाज और समुदायों के वंचितों को लक्षित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

इस विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति के लिए टेक्नॉलजिकल एडवॉन्समेंट फॉर रूरल एरियाज (तारा) योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण अनुप्रयोग और सामाजिक लाभ के लिए अनुकूल अनुसंधान को प्राथमिकता और प्रोत्साहन देना है। इसके लिए नवीन व्यावहारिक प्रौद्योगिकी पैकेज और मॉडल का विकास किया जा रहा है और कई नवाचारों को ग्रामीण स्तर पर प्रौद्योगिकी विकास और पहुँच के लिए स्केल-अप किया जा रहा है।

यह योजना ग्रामीण और अन्य वंचित क्षेत्रों में विज्ञान आधारित स्वैच्छिक संगठनों और क्षेत्रीय संस्थानों को दीर्घकालिक कोर सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें 'एसएंडटी इनक्यूबेटर' और 'एक्टिव फील्ड लैबोरेटरीज' के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी के स्थानीय अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि उपयुक्त तकनीक गाँवों तक पहुँच सके। 'तारा' योजना में ग्रामीण समस्याओं के लिए वैज्ञानिक समाधान स्वतंत्र

संगठनों के साथ काम करके दिए जाते हैं। इस योजना में स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक कौशल, नवाचार, उत्पाद और ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ आवास, कृषि और मूल्य संवर्धन, शुष्क क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी, वानिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन उत्पादों को विकसित करने में मदद की जाती है। इस कार्यक्रम से 50,000 से अधिक महिला एसएचजी सदस्य और 51,000 से अधिक किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्न उत्पादन, जल और ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों और सस्ती प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जा रही है। डिजिटलीकरण के साथ गाँवों में तकनीक विस्तार ने ग्रामीण विकास की गति को तेज कर दिया है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधे संवाद से आत्मनिर्भरता की नींव को नई तकनीक से भरा जा रहा है। गाँवों के आत्मनिर्भर विकास की समावेशिता और स्थिरता में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पंचायतों, लघु उद्यमियों और स्थानीय निकायों सभी को शामिल किया जा रहा है। आने वाले 25 वर्षों के अमृतकाल में प्रयोगशालाओं से गाँवों और खेतों तक तकनीक की पहुँच खेतों से उत्पादन वृद्धि और किसानों की आय में बढ़ोत्तरी से ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय रचने जा रही है।



उद्योगों से मज़बूत होती आत्मनिर्भर गाँव की संकल्पना

-शिशिर सिन्हा

गाँव आगे बढ़ता रहे, इसके लिए जरूरी है वहां उद्योग व उद्यमिता का लगातार विकास होते रहना। इसके लिए जहां सरकारी योजनाएं काम कर रही हैं, वहीं निजी क्षेत्र भी आगे आया है और ग्रामीणों की सोच में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्थिति अगर देश की दो-तिहाई से ज्यादा आबादी की होगी, तभी 'आत्मनिर्भर गाँव' और 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प पूरा हो सकता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 9 वर्षों (2014-15 से 2022-23) के बीच कृषि (वानिकी व मत्स्य पालन सहित) की औसत विकास दर 3.7 फीसदी रही है। गौर करने की बात यह है कि कोविड वर्ष (2020-21) में, जहां सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में कृषि से कहीं ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले सेवा और उद्योग की विकास दर नकारात्मक हो चली थी, वहीं कृषि की विकास दर सकारात्मक रही और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले ने पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरी का रास्ता भी खोला है, क्योंकि गाँव न केवल मांग में अहम हिस्सेदारी रखते हैं, बल्कि आपूर्ति का भी बड़ा जरिया बनते हैं, और यहीं से 'आत्मनिर्भरता' का रास्ता खुलता है।

निसंदेह गाँवों के 'आत्मनिर्भर' होने के लिए केवल कृषि

ही नहीं बल्कि उद्योगों का भी सतत विकास जरूरी है। कहना गलत न होगा कि कृषि और उद्योग एक-दूसरे के विकास के लिए आधार तैयार करते हैं। साथ ही, यहां यह भी जिक्र करना जरूरी है कि उद्योग या उद्यमिता केवल शहरी इलाके में ही नहीं पनपते, बल्कि ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं।

गाँवों की मांग

2021 के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक समीक्षा (2022-23) के अनुसार देश की कुल आबादी का 65 फीसदी गाँवों में रहता है जबकि 47 फीसदी आबादी के लिए आजीविका का साधन खेतीबाड़ी है। अलग-अलग रिपोर्ट से यह भी जानकारी मिलती है कि देश की कुल श्रमशक्ति का करीब आधा गाँवों में है। जाहिर है

लेखक आर्थिक पत्रकार हैं। ई-मेल : hblshishir@gmail.com

“.... हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि एक सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के विकास की कुंजी है।”

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी



कि जब बाजार की बात आएगी और मांग व आपूर्ति का विश्लेषण होगा तो वो गाँवों के बिना अधूरा रहेगा। खास बात यह है कि अब गाँव के बाजार में मांग व आपूर्ति की बात सिर्फ जरूरत तक सीमित नहीं, बल्कि इच्छाओं के भी अहम आधार हैं। चार पहिया गाड़ियाँ बनाने वाली अलग-अलग कंपनियां कहती हैं कि उनकी कुल बिक्री में गाँवों की हिस्सेदारी 19 से लेकर 40 फीसदी तक है, वहीं एफएमसीजी* उद्योग का आंकलन है कि 2020 में ग्रामीण इलाकों में उनका बाजार करीब 110 बिलियन डॉलर (करीब 7.15 लाख करोड़ रुपये) का था जो 2025 में करीब 220 बिलियन डॉलर (करीब 18 लाख करोड़ रुपये) तक पहुँच सकता है।

बाजार और मांग बढ़ने की एक वजह ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या है। जानी-मानी शोध संस्था यूरोमॉनिटर का कहना है कि भले ही शहरीकरण बढ़ रहा हो और महानगरों व गैर-महानगरों का विस्तार हो रहा है, लेकिन 2040 तक आधे के करीब भारतीय परिवार ग्रामीण इलाकों में स्थित होंगे, जबकि दुनिया में यह औसत एक तिहाई होगा। एजेंसी यह भी कह रही है कि ग्रामीण उपभोक्ता आमतौर पर छोटे पैकेट वाले सामान खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन गुणवत्ता पर उनका खासा जोर होता है। जिक्र करना जरूरी होगा कि पैकेट छोटा भले ही हो, लेकिन संख्या ज्यादा होगी जिससे कंपनियों को फायदा होगा।

आमदनी में बढ़ोत्तरी मांग बढ़ाने में सहायक होगी। बीते कुछ सालों से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढ़ाने की कोशिश हुई है,

*FMCG-Fast Moving Consumer Goods

जिसके नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, पारम्परिक खेतीबाड़ी के साथ कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से भी आमदनी बढ़ी है जिसका सकारात्मक असर मांग पर देखने को मिल रहा है।

गाँवों से आपूर्ति

खेतीबाड़ी के साथ कृषि की सहायक गतिविधियाँ जैसे बागवानी, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन से अलग-अलग उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति तो हो ही रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अलग-अलग आकार के उद्योग भी पूरी आपूर्ति व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसे समझने के लिए तीन अलग-अलग स्रोतों से दी गई जानकारी पर नजर डालनी होगी:

- **उद्योगों का सालाना सर्वेक्षण (2019-20)** : सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली रिपोर्ट बताती है कि देश के कुल 2.46 लाख से ज्यादा कारखानों में 1.03 लाख यानी करीब 41 फीसदी ग्रामीण इलाकों में स्थित है जिनमें कामगारों की संख्या 57.78 लाख से ज्यादा है, वहीं कुल मिला कर करीब 73 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कारखानों से जुड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक इकाइयों ने 5.86 लाख करोड़ रुपये का मूल्यवर्धन किया।
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 633 लाख से कुछ ज्यादा औद्योगिक इकाइयाँ (51 फीसदी) ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इनमें अकेले सूक्ष्म उद्योगों की हिस्सेदारी 324 लाख की है।

रोजगार की बात करें तो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग जहां 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, उनमें से करीब पांच करोड़ ग्रामीण इलाकों में हैं। श्रम बल और औद्योगिक इकाइयों की यह संख्या देश के सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में करीब 30 फीसदी और निर्यात में 45 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं। आनुपातिक आधार पर कुल जीवीए में 15 फीसदी की हिस्सेदारी ग्रामीण इलाकों में स्थित एमएसएमई के जरिए हो रही है जबकि कुल निर्यात में हिस्सेदारी करीब 23 फीसदी है।

- **खादी ग्रामोद्योग :** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कपड़े समेत विभिन्न तरह के उत्पादों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति कर रहा है। वर्ष 2013-14 में खादी का उत्पादन 811 करोड़ रुपये का था जो 2022-23 में 2916 करोड़ रुपये पर पहुँचा, यानी तीन गुना से भी ज्यादा की बढ़ोत्तरी। खादी समेत विभिन्न उत्पादों की बिक्री से केवीआईसी का 2022-23 में कुल कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपये का था जो देश की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों से भी ज्यादा हो गया है।

मुमकिन है कि तीनों स्रोतों में कुछ आंकड़ों का दोहराव हुआ हो, फिर भी आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बड़े से लेकर छोटे और यहां तक कि सूक्ष्म इकाइयों की भी बड़ी हिस्सेदारी है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी ही देखने को मिल रही है।

आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर दबाव में कमी जरूरी

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगते हैं तो वहां आमतौर पर श्रमबल की बड़ी संख्या शहरों से आकर रहती है। साथ ही, उनमें स्थानीय उद्यमिता देखने को नहीं मिलती। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि ग्रामीणों की उद्यमिता और रोजगार के लिए क्या किया जा रहा है या फिर और क्या कुछ करने की जरूरत है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जोत का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है, उससे ग्रामीणों के लिए आजीविका के विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी हो जाता है। ऐसे प्रयासों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है— खादी ग्रामोद्योग के जरिए ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार एवं ग्रामीण रोजगार व कौशल विकास की योजनाएं।

खादी ग्रामोद्योग के जरिए ग्रामीण उद्यमिता व रोजगार

ग्रामीण विकास व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग के तहत पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने, विकसित करने और मजबूत करने के लिए केवीआईसी ने खास पहल की है। मसलन शहद और मधुमक्खी पालन, ताड़ के गुड़, मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित कागज और चमड़ा उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करने, आय बढ़ाने और आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए केवीआईसी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। साथ ही, ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान करने के

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की संख्या (30 जून 2023 तक की स्थिति)

आंध्र प्रदेश	105955
अरुणाचल प्रदेश	1000
असम	70743
बिहार	74158
छत्तीसगढ़	55636
गुजरात	24071
हरियाणा	40946
हिमाचल प्रदेश	10471
जम्मू और कश्मीर	68491
झारखंड	62741
कर्नाटक	51349
केरल	69122
मध्य प्रदेश	76683
महाराष्ट्र	51087
मणिपुर	5500
मेघालय	5414
मिजोरम	1246
नगालैंड	5585
ओडिशा	210854
पंजाब	31067
राजस्थान	68629
सिक्किम	2115
तमिलनाडु	62414
तेलंगाना	61641
त्रिपुरा	10147
उत्तर प्रदेश	190262
उत्तराखंड	16763
पश्चिम बंगाल	36850
पुडुचेरी	1044
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	298
कुल	1472282

स्रोत : kauhslapragati.nic.in, Kaushalbharat.gov.in

साथ-साथ सिलाई प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। पिछले नौ वर्षों के दौरान देश भर में 7.43 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और कारीगरों को जरूरत आधारित टूल किट उपलब्ध कराए गए हैं।

दूसरी ओर, खादी की बढ़ती मांग के मद्देनजर बीते 9 वर्षों में इस क्षेत्र से जुड़े कारीगरों को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता मिल रही है। साथ ही, चरखा और करघा भी दिए गए हैं, ताकि बुनियादी सुविधाएं विकसित हों। दूसरी ओर, डिजिटलीकरण,

अनुसंधान व विकास गतिविधियों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी और डिजाइनों का लाभ पहुँचाने की कोशिश है। इन तमाम प्रयासों का मकसद उद्यमियों को बाजार के बदलते चलन के हिसाब से तैयार करना है।

दूसरी ओर, अगर रोजगार की बात करें तो केवीआईसी ने विभिन्न योजनाओं के जरिए 2013-14 के 5.6 लाख नए रोजगार अवसरों की तुलना में 2022-23 में कुल 9.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 80 प्रतिशत से अधिक इकाईयां ग्रामीण इलाकों में स्थापित की जाती हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा की कमान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के हाथ है। इससे देश में महिला सशक्तीकरण और महिला उद्यमियों को बल मिला है। पीएमईजीपी के तहत, 2022-23 के दौरान 8.69 लाख नई परियोजनाओं की शुरुआत करके कुल 73.67 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिसमें 2008-09 से 2022-23 तक 21870.18 करोड़ रुपये की कुल मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की गई है। इसके अलावा, केवीआईसी अपने प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य संवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) और उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित करता है ताकि पारंपरिक उद्योगों में स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जा सकें।



था और अभी यह 27 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। 877 से अधिक पीआईए (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां) 2,369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लगभग 616 रोजगार भूमिकाओं में ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। कुल 14.08 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कार्यक्रम के तहत स्थापना के बाद से 8.39 लाख उम्मीदवारों को रखा गया है।

कुछ समय पहले ही ग्रामीण गरीब युवाओं को कुशल बनाने और रोजगार मुहैया कराने के मकसद से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19 नियोक्ताओं के साथ 'कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट' के तहत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने और उनकी अपनी या अपनी सहायक कंपनियों में रखने का रास्ता खुलेगा।

उद्यमिता और रोजगार दोनों बढ़ें, इसके लिए यह भी जरूरी है कि बाजार और उपभोक्ताओं तक सामान आसानी से पहुंचे। यहां ये भी अहम हो जाता है कि किस तरह से उपभोक्ताओं के बदलते व्यवहार के हिसाब से व्यवस्था तैयार की जाए। चूंकि आज ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन बाजार का भी चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म eKhadiIndia.com की शुरुआत की गई जहां 50,000 से अधिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, कई दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए भी खादी ग्रामोद्योग के सामान ग्राहकों के घर तक पहुँचाने का इंतजाम है।

ग्रामीण रोजगार व कौशल विकास की दो प्रमुख योजनाएं
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) : यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं की रोजगार की जरूरतों को पूरा करता है। इसे 25 सितंबर, 2014 को लॉन्च किया गया





'कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट' अपनी तरह की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित करने वाले उद्योग भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक गतिशील और मांग-आधारित स्किल इकोसिस्टम तैयार करना है। यह पहल डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत एक पहल है, जो न्यूनतम 10,000 रुपये के सीटीसी के साथ कम से कम छह महीने के लिए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट का आश्वासन देती है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए उनकी नौकरी की जरूरतों और उनके जीवन-स्तर में सुधार के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों में भी योगदान देगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, बदलते समय और ग्रामीण युवाओं की बदलती आकांक्षा के साथ कार्यक्रम अपने दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 दिशानिर्देश मंत्रालय में अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में हैं। कार्यक्रम के इस नए संस्करण का उद्देश्य स्किल इकोसिस्टम में सुधार करने और इसे अधिक रोजगार उन्मुख बनाना है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना : इस योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च कर गुरु-शिष्य परंपरा या हाथों व औजारों से काम करने वाले कारीगरों-शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित

पेशे को मजबूत करने का लक्ष्य है, जिससे ये पेशे लाभकारी हो सकें। योजना में 18 पारंपरिक क्षेत्र- बढई, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा व टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने, पत्थर तोड़ने वाला), मोची, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/जूट बुनकर, गुड़िया-खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल हैं।

उपरोक्त तमाम प्रयासों की बढौलत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुचक्र विकसित होता है। सुचक्र यानी गाँव में जब उद्यमिता विकसित होती है या फिर युवाओं में कौशल्य विकसित होता है तो रोजगार के नए मौके बनते हैं। नए मौकों के बढौलत आमदनी, आमदनी बढ़ने से मांग और मांग बढ़ने से आपूर्ति बढ़ती है। आपूर्ति बढ़ेगी तो उद्यम का भी विस्तार होगा और परिणामस्वरूप रोजगार भी बढ़ेगा। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में आजीविका के लिए केवल खेतीबाड़ी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। यही सही अर्थों में 'आत्मनिर्भरता' है।

एक बात और। गाँव आगे बढ़ता रहे, इसके लिए जरूरी है कि वहां उद्योग व उद्यमिता का लगातार विकास होते रहना। इसके लिए जहां सरकारी योजनाएं काम कर रही हैं, वहीं निजी क्षेत्र भी आगे आया है और ग्रामीणों की सोच में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्थिति अगर देश की दो-तिहाई से ज्यादा आबादी की होगी, तभी 'आत्मनिर्भर गाँव' और 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प पूरा हो सकता है।

'लखपति दीदी' एक अनूठी पहल

-सरला मीणा

'लखपति दीदी' पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार और कौशलयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आवश्यक कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के लिए टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प तैयार करना है, जिससे ज़मीनी स्तर पर गरीबी कम कर आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान दिया जा सके।

आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। जब आप किसी गाँव में जाते हैं, तो आपको 'बैंक वाली दीदी', 'आंगनबाड़ी दीदी' और 'दवाई वाली दीदी' मिलेंगी। "गाँवों में दो करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है"- 15 अगस्त, 2023 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में लाल किले की प्राचीर से इन शब्दों के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल 'लखपति दीदी' योजना का अनावरण किया।

'लखपति दीदी' योजना का उद्देश्य दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत आने वाले 10 करोड़ स्वयं सहायता समूहों के बड़े परिवार

की कम-से-कम दो करोड़ दीदियों को जल्दी से जल्दी सक्षम बनाना है।

एसएचजी या स्वयं सहायता समूह समुदाय-आधारित संगठन होते हैं जो व्यक्तियों के समूह, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा गठित होते हैं जो अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक या विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साथ आती हैं। महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ज़मीनी स्तर पर शासन में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 'लखपति दीदी' वह है जो प्रति परिवार कम से कम एक लाख रुपये प्रति वर्ष की सतत आय अर्जित करती है। अमृतकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परिदृश्य को 'लखपति दीदी' चलाने जा रही है।

लेखिका पत्र सूचना कार्यालय में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

“ आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गाँव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनबाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गाँव में 2 करोड़ लखपति दीदी... हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयर करने की और हज़ारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी...। ”

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, 15 अगस्त 2023



इस योजना के तहत, महिलाओं को उभरते उद्योगों की मांगों के अनुरूप, कई व्यावहारिक कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कौशलों में नलसाज़ी (पलंबिंग), एलईडी बल्ब निर्माण और ड्रोन के संचालन और मरम्मत आदि कार्य शामिल हैं। 'लखपति दीदी' योजना 'स्टेम' (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) में भी महिलाओं को सशक्त बना रही है।

प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के महत्व को रेखांकित किया है और बताया है कि देश को आगे ले जाने के लिए यह कितना जरूरी है। आज भारत में 'स्टेम'* में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है और दुनिया आज भारत की इस क्षमता को देख रही है। उपरोक्त वर्णित विविध प्रशिक्षण दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें और उद्यमिता के अवसरों का पता लगा सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, कड़ी मेहनत और बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ, समयबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित और तत्पर है। मंत्रालय ने अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लखपति दीदियों को सफलतापूर्वक

*STEM-Science, Technology, Engineering, Mathematics

सक्षम किया है और 2 करोड़ के लक्ष्य को मार्च 2024 के बजाय इस वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इस लक्ष्य को पाने के लिए कई कदम उठा रहा है और इसमें सरकारी विभागों और एजेंसियों को शामिल कर रहा है ताकि 'लखपति दीदी' पहल से ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो सकें। इस दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूपांतरण के लिए अभिसरण (कन्वर्जन्स) से इस पहल की सफलता को सुनिश्चित करना शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं और महिलाओं को 'आयुष' स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर, कुशल कर्मी तैयार करने में सहयोग हेतु आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

'लखपति दीदी' पहल का कार्यान्वयन दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के दायरे में आता है। यह योजना भारत सरकार का एक प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और आज यह ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। गरीबी के कई आयामों को संबोधित करते हुए, कार्यक्रम का लक्ष्य 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँचना और प्रत्येक

ग्रामीण परिवार से एक महिला सदस्य को आत्मीयता-आधारित महिला स्वयं सहायता समूह में संगठित करना है। ये स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को निकट, दीर्घकालिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें बैंकों की वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने, अपनी आजीविका में विविधता लाने और उसे सतत जारी रखने के साथ-साथ आसानी से एवं प्रभावी ढंग से अपने अधिकारों तक पहुँचने में मदद मिलती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, 6-8 वर्षों तक स्वयं सहायता समूह में रहने के बाद, घरेलू खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो और उसके पास एक से अधिक सतत आजीविका स्रोत हों।

मिशन ने, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयास में, महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए उनके सामूहिकीकरण, उनके संघों को मजबूत बनाने, उन्हें ज्ञान और कौशल के साथ सक्षम बनाने तथा वित्तपोषण और ऋण सहायता आदि जैसे कुछ ठोस प्रयास किए हैं।

मिशन चार मुख्य घटकों में निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है-

- (क) सामाजिक लामबंदी और ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और मजबूत करना;
- (ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन;
- (ग) सतत आजीविका; और
- (घ) सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण।

मिशन की प्रगति

1. **भौगोलिक कवरेज** : मिशन ने प्रखर रणनीति के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 742 जिलों में फैले 7091 ब्लॉकों को कवर किया है।
2. **सामाजिक लामबंदी/संस्थागत निर्माण** : 9.54 करोड़



जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो दुनिया समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तीकरण विकास को बढ़ावा देता है और शिक्षा तक उनकी पहुँच वैश्विक प्रगति को गति देती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज़ सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है और भारत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है।”

महिलाओं को 87.39 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है।

3. **सामाजिक पूंजी** : समुदाय संचालित दृष्टिकोण मिशन की कार्यान्वयन रणनीति का केंद्र है। लगभग 4 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को कई हस्तक्षेपों में प्रशिक्षित किया गया है।
4. **पूंजीगत समर्थन** : संचयी रूप से, मिशन के तहत सामुदायिक निवेश सहायता के रूप में लगभग 33,497.62 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
5. **एसएचजी-बैंक लिंकेज** : वर्ष 2013-14 से स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगभग 6.96 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्राप्त किया गया है। 1.88% पर एनपीए, मिशन के विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयासों का परिणाम है।
6. **बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट एजेंट (बीसीए) के रूप में एसएचजी सदस्य** : वित्तीय सेवाओं को उपभोक्ताओं के द्वार तक पहुँचाने के लिए एक लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट एजेंट/डिजीपे (Digipay) पॉइंट के रूप में पहचाना और प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में, 1.07 लाख बैंकिंग कॉरिस्पॉन्डेंट सखी/डिजीपे सखियों को तैनात किया जा चुका है।
7. **आजीविका** : डीएवाई-एनआरएलएम फार्म हस्तक्षेपों के तहत गहन ब्लॉकों में सतत कृषि, पशुधन और एनटीएफपी को बढ़ावा देता है। हस्तक्षेपों का फोकस फसल और पशुधन उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर है। 23 अगस्त, 2023 तक, 3.02 करोड़ महिला किसानों को इन हस्तक्षेपों के तहत कवर किया जा चुका है। गैर-कृषि रणनीति के तहत, डीएवाई-एनआरएलएम स्टार्टअप विलेज एंजनेयोरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी)* पर काम करता है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता करना



है। वर्ष 2016-17 से लागू एसवीईपी के तहत अब तक लगभग 2.45 लाख उद्यमों को मदद दी जा चुकी है।

8. कस्टम हायरिंग सेंटर/टूल बैंक : कई राज्यों में लगभग 28623 कस्टम हायरिंग सेंटर/सामुदायिक प्रबंधित टूल बैंक स्थापित किए गए हैं। ये सीएचसी छोटे और सीमांत किसानों को मामूली दर पर कृषि उपकरण और अन्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।

मिशन के तहत, लगभग 9.54 करोड़ महिलाएं 87.39 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का हिस्सा हैं। वित्तीय समावेशन में काफी प्रगति हुई है, उदाहरण के लिए वित्तीय साक्षरता, बैंक खाते खोलना, ऋण, बीमा आदि। एसएचजी को लगभग ₹ 33,497 करोड़ की पूंजीगत सहायता प्रदान की गई है। इससे वर्ष 2013-14 से एसएचजी और उनके संघों को बैंकों से ₹ 6.95 लाख करोड़ का क्रेडिट लिंकेज संभव हो सका है।

मिशन ने संपूर्ण समाज दृष्टिकोण को अपनाया है जहां एसएचजी परिवारों की आय बढ़ाने हेतु सभी जरूरी मदद देने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय एजेंसियों, सीएसओ और तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग और साझेदारी मजबूत हुई है। मिशन ने बड़ी संख्या में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को तैयार किया है, जो एनआरएलएम के तहत जमीन से जुड़े हैं और मिशन द्वारा किए गए हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने में सहायक हैं।

वर्तमान में मिशन द्वारा पांच लाख से अधिक सीआरपी (समूह सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मधु सखी, मत्स्य सखी, बैंक सखी, बैंकिंग कॉरिस्पोडेंट सखी आदि सहित) नियुक्त किए जा चुके हैं। ये सीआरपी आजीविका हस्तक्षेपों, विभिन्न विस्तार सेवाओं आदि की तकनीकी जानकारी में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा, मिशन ने हितधारकों की मदद और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए राज्य, जिला और उप जिला-स्तर पर पेशेवरों (राष्ट्रीय

संसाधन व्यक्तियों और राज्य संसाधन व्यक्तियों) को भी नियुक्त किया है।


इसी प्रकार, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को गति देने के लिए, 'लखपति दीदी' पहल की शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की गई है, जिसमें प्रत्येक एसएचजी परिवार को मूल्य शृंखला हस्तक्षेपों के साथ मिलकर कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, परिणामस्वरूप प्रति वर्ष एक लाख रुपये या उससे अधिक की स्थायी आय हो सके। 'लखपति दीदी' पहल और डीएवाई-एनआरएलएम ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

'लखपति दीदी' पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार और कौशलयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आवश्यक कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। ये पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और अधिकारों तक उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए सामाजिक लामबंदी, वित्तीय समावेशन, सतत आजीविका और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इन प्रयासों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के लिए टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प तैयार करना है, जिससे जमीनी स्तर पर गरीबी कम कर आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान दिया जा सके।

संक्षेप में, ये कहावत सौ फीसदी सही है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो दुनिया समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तीकरण विकास को बढ़ावा देता है और शिक्षा तक उनकी पहुँच वैश्विक प्रगति को गति देती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला-नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है और भारत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है।

डिजिटल रूप से सशक्त गाँवों की ओर

-डॉ. हरवीन कौर



‘ग्रामीण ई-कॉमर्स’ की अवधारणा मुख्यधारा के ई-कॉमर्स से अलग है जो ग्रामीण उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बाजारों से जोड़ना और आय के स्तर को बढ़ाना है। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसी पहल एसएमई विकास को बढ़ावा देने और ई-कॉमर्स क्षेत्र में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार हैं।

भारत मुख्य रूप से गाँवों का देश है, जिसकी लगभग दो-तिहाई आबादी 6.49 लाख गाँवों में रहती है, जिन्हें जीवन की गुणवत्ता से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 'स्मार्ट विलेज' एक नवीन और उच्च तकनीक अवधारणा है जिसका उद्देश्य अविकसित गाँवों को आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और भौतिक रूप से सतत विकास सुनिश्चित कर क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। स्मार्ट गाँवों के पीछे मूल विचार डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से है जो व्यापक और सतत ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की 'आत्मा' को संरक्षित करते हुए उन्हें 21वीं सदी की सुविधाओं तक पहुँच प्रदान की जा सके।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक खाद्य प्रणाली को, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाए बिना, 2050 तक 9 अरब से अधिक लोगों का भरण-पोषण करने में सक्षम होना चाहिए और ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि एक सक्षम और सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जाए। साथ ही, ग्रामीण समुदाय बाजार की दुर्गमता, बढ़ती आबादी, जनसंख्या

में कमी और अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाओं जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं जो सतत खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर, 'डिजिटलीकरण' एक समाधान के रूप में उभरा है जो कृषि संसाधन दक्षता में सुधार और ग्रामीण सेवाओं को समृद्ध कर रहा है। यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के भी अनुरूप है जो गरीबी, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे परस्पर जुड़े मुद्दों का समाधान करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा दे रही है।

औद्योगिक क्रांतियाँ और कृषि क्रांतियाँ

डिजिटल प्रौद्योगिकियों के समावेशन द्वारा चिह्नित औद्योगिक क्रांति 4.0 ऐतिहासिक संस्थाओं के विपरीत परिवर्तनकारी क्षमता रखती है जैसे बिजली और स्वचालन अपने वादे के बावजूद, चुनौतियाँ सार्वभौमिक डिजिटल कनेक्टिविटी में बाधा डालती हैं, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सीमित पहुँच, अपर्याप्त डिजिटल कौशल और सामर्थ्य के कारण शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन बढ़ गया है। लिउटास और अन्य (2021) ने डिजिटलीकरण के महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पर जोर देते हुए,

लेखक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। ई-मेल : dr_harveen@outlook.com

डिजिटल कृषि को विकसित करने में विज्ञान-आधारित एप्रोच की वकालत की।

समानांतर रूप से, कृषि क्षेत्र अपनी स्वयं की क्रांति शुरू कर रहा है जिसे 'कृषि 4.0' के रूप में जाना जाता है और यह पैराडाइम शिफ्ट डिजिटलीकरण, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत कर रहा है, फसल और पशुधन उत्पादन से लेकर निराई, कीट नियंत्रण और कटाई जैसी कई कृषि एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करता है। कृषि में तकनीकी प्रगति की इस टाइमलाइन को नीचे दिए गए चित्र में कृषि 1.0 से कृषि 4.0 तक की यात्रा के रूप में दर्शाया गया है, जो उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाता है जो कृषि परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं।

डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर गाँव

डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर गाँव में महत्वपूर्ण ग्रामीण सेवाओं उपलब्ध रहती है। और उच्च तकनीकी सुविधाओं के साथ-साथ यह एप्रोच उच्च तकनीक शिक्षा को एकीकृत करती है और उन्नत शिक्षण के लिए इंटरनेट एक्सेस, ई-सामग्री, शिक्षा संबंधी ऐप्स, स्मार्ट कक्षाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपलब्ध कराती है। साथ ही, यह विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन परामर्श के माध्यम से ई-स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं सहित कुशल ई-गवर्नेंस सुनिश्चित करता है। गाँव, बुद्धिमत्तापूर्ण आईसीटी बुनियादी ढाँचे और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित है जिसमें प्रत्येक मौसम के अनुकूल सड़कें, परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, सुव्यवस्थित स्कूल, उन्नत आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक और जल आपूर्ति प्रणाली जैसी मजबूत बुनियादी ढाँचागत सुविधाएं शामिल हैं। इसके


अलावा, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी करने से गाँव की सुरक्षा बढ़ती है। स्मार्ट सेवाओं और बुनियादी ढाँचे का समावेशन न केवल जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि इससे आर्थिक अवसरों का भी सृजन होता है। उद्यमिता को बढ़ावा देकर, डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर गाँव एक आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है जो गाँव को नवाचार और प्रगति के एक संपन्न केंद्र में बदल देता है। डिजिटल हब उन कई रणनीतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें नीति निर्माता ग्रामीण समुदायों और व्यवसायों के बीच डिजिटल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नियोजित कर सकते हैं, जो डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर गाँवों के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान करते हैं।

डिजिटल प्रौद्योगिकियां कृषि में क्रांति ला रही हैं, जिससे छोटे किसान तकनीक-संचालित कृषि खाद्य प्रणाली को अपना रहे हैं। यह डिजिटलीकरण कृषि खाद्य शृंखला के हर पहलू को बदल देता है, व्यक्तिगत, बुद्धिमत्तापूर्ण से वास्तविक समय समाधानों के साथ संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करता है। डाटा द्वारा हाइपर-कनेक्टेड, मूल्य शृंखलाएं सूक्ष्म विवरणों का पता लगाने योग्य हो जाती हैं, जबकि खेतों, फसलों और पशुओं का सटीक प्रबंधन किया जाता है। डिजिटल कृषि उच्च उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलनशीलता और प्रत्याशित क्षमताओं को सुनिश्चित करती है जो संभावित रूप से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाती है।

डिजिटल परिवर्तन के लिए शर्तें

कृषि का डिजिटल परिवर्तन विभिन्न संदर्भों में विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है:

औद्योगिक क्रांतियां और कृषि क्रांतियों की टाइमलाइन



स्रोत: अन्य (2021)

(क) प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तों में डिजिटल रणनीतियों के लिए उपलब्धता, कनेक्टिविटी (मोबाइल सदस्यता, नेटवर्क कवरेज, इंटरनेट एक्सेस), सामर्थ्य, आईसीटी शिक्षा और सहायक नीतियां (ई-सरकार) जरूरी हैं।

(ख) सुगमता प्रदान करने वाली स्थितियों के अंतर्गत इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया का उपयोग, डिजिटल कौशल और कृषि उद्यमिता और नवाचार संस्कृति (प्रतिभा विकास, हैकथॉन, इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर) के लिए सहयोग शामिल है।

(ग) इस क्षेत्र का डिजिटलीकरण काम की गतिशीलता को पूरी तरह से नया आकार देगा और श्रम एवं कौशल की मांगों में बदलाव लाएगा।

डिजिटल सशक्तीकरण के लिए सरकारी पहल

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तीकरण के लिए सरकार की पहल, भारत के डिजिटल परिदृश्य को बदलने में सहायक रही है। वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया प्रमुख 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम हाई-स्पीड इंटरनेट के माध्यम से देश के हर कोने में सरकारी सेवाओं को पहुँचाने के लिए प्रयासरत है तो भारत नेट प्रोजेक्ट गाँवों में ई-बैंकिंग, ई-गवर्नेंस, इंटरनेट सेवाओं और ई-शिक्षा को प्रोत्साहन देकर इस प्रयास को और बढ़ावा देता है, जिसका लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश की डिजिटल पहुँच को मजबूत करते हुए, रुपये डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन लेन-देन को सक्षम करके ग्रामीण भारत में वित्तीय और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती है।

(क) सभी के लिए एआई: कृषि डिजिटलीकरण के लिए नीति आयोग की पहल

भारत के कृषि क्षेत्र के बीच बहुआयामी प्रौद्योगिकीय समावेशन और सहयोग की आवश्यकता है। केवल निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना लागत प्रभावी या कुशल नहीं हो सकता है। इस प्रकार, चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। नीति आयोग ने एआई कार्यान्वयन के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित किया है:

- **स्वास्थ्य देखभाल** : गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच और वहनीयता में वृद्धि,
- **कृषि** : किसानों की आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और अपव्यय में कमी,
- **शिक्षा** : शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता में सुधार,
- **स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचा** : बढ़ती शहरी आबादी के लिए कार्यकुशलता और कनेक्टिविटी, तथा
- **स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन** : परिवहन के स्मार्ट और सुरक्षित तरीके तथा यातायात और भीड़भाड़ की समस्या का बेहतर समाधान।

(ख) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि : आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाना

एसआरआई निधि आत्मनिर्भर भारत के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में है। यह एप्रोच स्पष्ट विस्तार रणनीतियों के साथ व्यवहार्य एमएसएमई को आवश्यक विकास पूंजी प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की मजबूत क्षमताओं का उपयोग करने में मदद करेगी। यह निधि एक मदर फंड-डॉटर फंड संरचना को नियोजित करती है जो एमएसएमई के लिए विकास पूंजी का सतत प्रवाह सुनिश्चित करता है। यह सहयोग विभिन्न वित्तीय साधनों जैसे कि इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और इक्विटी जैसी संरचनाओं के माध्यम से बढ़ाया जाता है जो भारत के छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के बीच वित्तीय लचीलापन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

(ग) डिजिटल सशक्तीकरण के लिए फिनटेक कंपनियों की पहल

फिनटेक कंपनियां देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुँच को आगे बढ़ाने में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभरी हैं। सरकार के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, इन कंपनियों ने भारत को नकद राशि पर निर्भर समाज से 'डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र' की श्रेणी में पहुँचा दिया है, जहां डिजिटल भुगतान व्यापक हो गया है।

ये फिनटेक संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना पूरी कर्मठता से कर रही हैं, दूरदराज के गाँवों में डिजिटल बिल भुगतान (मोबाइल, बिजली, डीटीएच, पानी) की सुविधा के लिए कियोस्क, पीओएस डिवाइस और मोबाइल वैन तैनात कर रही हैं। भुगतान विधियों में यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और यहां तक कि नकदी भी शामिल है, ये सभी सुरक्षित ब्लॉकचेन-आधारित गेटवे के माध्यम से संचालित होते हैं। इसके अलावा, फिनटेक कंपनियां जरूरत-आधारित उत्पादों, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक/भौतिक बुनियादी ढाँचे के निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) सहित सरकारी निकाय, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष वित्त, लघु और दीर्घकालिक ऋण जैसी कई वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। सरकार मजबूत जोखिम प्रबंधन आकलन के साथ-साथ ऑडिट निवेश और एजेंट कदाचार को रोकने के उपाय करने पर भी जोर देती है ताकि ग्रामीण भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

iii. आत्मनिर्भर स्मार्ट ग्राम अर्थव्यवस्था के लिए स्मार्ट उद्यमिता

प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और कुशल कार्यबल से संपन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त उद्यमशीलता क्षमता मौजूद है। गाँवों में


उद्यमशीलता के प्रयास ग्रामीण आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर सकते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आय के अंतर को पाट सकते हैं और रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं। इस क्षमता का दोहन करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करते हुए, एक शोधदल ने आत्रप्रेन्योरियल प्रक्रिया फ्रेमवर्क तैयार किया है जो एनआईएफटीईएम ग्राम कार्यक्रम से प्राप्त एक प्रक्रिया नवाचार है। चित्र में दर्शाया गया यह ढाँचा स्मार्ट गाँवों के भीतर संभावित उद्यमियों की पहचान करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें परस्पर जुड़ी और अन्योन्याश्रित केंद्रित गतिविधियाँ शामिल हैं जो उन उम्मीदवारों की पहचान का मार्गदर्शन करती हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। इस ढाँचे के अनुसार, भागीदारी दर उत्तरोत्तर घटती जाती है, लगभग 5-8% संभावित उद्यमियों के रूप में उभरते हैं जो सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और अपने उद्यमों को लॉन्च करने के लिए तैयार होते हैं, जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवा कृषि उद्यमियों की भूमिका

कृषि डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने में युवा कृषि उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीढ़ीगत अंतर्दृष्टि से आकर्षित होकर, वे कृषक समुदायों की सहायता करने के लिए केंद्रित स्टार्टअप

ग्रामीण गाँवों के लिए उद्यमशीलता प्रक्रिया फ्रेमवर्क



उद्यम सेटअप में व्यावसायिक सहायता (जैसे इन्क्यूबेशन, बैंक-लिंगेज, मार्केट लिंगेज और सीड-फाइनेंस) और प्रदर्शन माप

स्रोत: स्मार्ट इको-सोशल गाँवों के विकास के लिए उद्यमशीलता नीति ढांचे को डिजाइन करने संबंधी परियोजना, इम्प्रेस-आईसीएआर नई दिल्ली

बनाते हैं, जो अक्सर उनकी अपनी पृष्ठभूमि में निहित होते हैं। सफल होने के लिए, इन युवा नवप्रवर्तकों को स्पष्ट कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो न केवल निवेश को आकर्षित करते हैं बल्कि निवेशकों और स्टार्टअप के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे कृषि उद्यमी बाजार में प्रगति होती है।

डिजिटल कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियों को डिजिटल रूप से कुशल कर्मचारियों का समूह तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें आवश्यक कौशल वाले व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें आकर्षित करना और बनाए रखना, मौजूदा कार्यबल के भीतर प्रतिभा का पोषण करना और वर्तमान भूमिकाओं में डिजिटल कौशल को बढ़ाने में निवेश करना शामिल है।

V. ग्रामीण उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स

'ग्रामीण ई-कॉमर्स' की अवधारणा मुख्यधारा के ई-कॉमर्स से अलग है जो ग्रामीण उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बाजारों से जोड़ना और आय के स्तर को बढ़ाना है। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसी पहल एसएमई विकास को बढ़ावा देने और ई-कॉमर्स क्षेत्र में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ने खुदरा भुगतान में क्रांति ला दी, उसी तरह ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पहल ई-कॉमर्स को बदलने, प्रवेश बाधाओं को तोड़ने और नवाचार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। यह पहल एक प्रौद्योगिकी अवसररचना तैयार करती है जहां प्रत्येक भारतीय, स्थान की परवाह किए बिना, डिजिटल उद्यमिता में संलग्न हो सकता है। आईटीसी लिमिटेड की ई-चौपाल पहल ने किसानों को खेती के तौर-तरीकों, मौसम की स्थिति, कीमतों और खरीददार चुनने की आजादी, बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और ग्रामीण खरीद दक्षता बढ़ाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सफलतापूर्वक प्रदान की है।

(क) सामने आने वाले मुद्दे और चुनौतियाँ

- **भुगतान संबंधी मुद्दे** : वित्तीय प्रणालियों में विश्वास की कमी के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान समाधान और बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच।

- **डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी** : ग्रामीण आबादी के बीच उच्च इंटरनेट लागत फाइबर ऑप्टिक लाइनों, सेल टॉवरों, इंटरनेट राउटर, वायरलैस स्पेक्ट्रम जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ उनके जुड़ाव में बाधा डालती है।

- **लॉजिस्टिक्स चुनौतियाँ** : अकुशल डाक सेवाएं, सीमित लॉजिस्टिक्स प्रदाता, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, खराब सड़क बुनियादी ढांचा और अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स समाधान शामिल हैं।

- **ई-कॉमर्स जागरूकता** : ग्रामीण आबादी, किसानों और



उद्यमियों को अक्सर ई-कॉमर्स के बारे में जानकारी की कमी होती है, जिसके लिए मोबाइल फोन के उपयोग, मोबाइल बैंकिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

- **व्यावसायिक क्षमता** : ग्रामीण उत्पादकों को व्यवसाय और वित्तीय योजनाओं का मसौदा तैयार करने, अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन और नई उत्पाद प्रौद्योगिकियों के ज्ञान और अनुप्रयोग में ज्ञान की कमी है।

- **उत्पाद की गुणवत्ता** : आयातित वस्तुओं की तुलना में ग्रामीण उत्पाद खराब पैकेजिंग, कम गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा की कमी से जूझ सकते हैं।

- **भाषा बाधाएं** : कई ई-कॉमर्स वेबसाइटें मुख्य रूप से अंग्रेजी का उपयोग करती हैं, जो ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए भाषा बाधा उत्पन्न करती है।

- **मुद्रा चुनौतियाँ** : भारत के भीतर संचालित होने वाले ई-कॉमर्स व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को संभालना एक चुनौती हो सकती है।

संभावित समाधान

कृषि खाद्य प्रणालियों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के उदाहरण और प्रभाव

(क) **मोबाइल ऐप्स** : केन्या में एम-फार्म जैसे मोबाइल ऐप्स ने किसानों को वास्तविक समय की कीमत की जानकारी, सूचित निर्णय लेने और फसल पैटर्न में बदलाव करने में सक्षम बनाया है। एफएओ का ईएमए-आई ऐप प्रारंभिक पशुधन रोग रिपोर्टिंग में सहयोग करता है जिससे कई अफ्रीकी देशों में खाद्य सुरक्षा बढ़ी है।

(ख) एग्रोबॉट्स और एआई स्टार्टअप नवाचार (एगटेक):

- ये रोबोट जल प्रबंधन और सिंचाई अनुकूलन जैसे कार्यों में सहायता करके खेती में क्रांति ला रहे हैं। डिनो एग्रोबोट जैसे एग्रोबोट मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित करने, कीटनाशकों के बारे में चिंताओं को दूर करने और श्रम की कमी को कम करने में योगदान देते हैं।

- भारतीय स्टार्टअप (एगटेक) कृषि में बदलाव के लिए डिजिटल नवाचारों का उपयोग कर रहे हैं। इंटेलो लैब्स जैसे स्टार्टअप फसल की निगरानी के लिए चित्र पहचान का उपयोग करते हैं जबकि एबोनो फसल की पैदावार को स्थिर करने के

लिए कृषि डाटा विज्ञान और एआई का उपयोग करता है। ट्रिथी रोबोटिक्स जैसी कंपनियों के ड्रोन वास्तविक समय में फसल की निगरानी प्रदान करते हैं जिससे प्रिसिजन खेती में वृद्धि होती है। सैटशोर खेत के चित्रों का आकलन करने और भविष्य की उपज मूल्य की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है।

- एआई-संचालित समाधान, जैसे सुअर फार्मों के लिए अलीबाबा का स्मार्ट ब्रेन चेहरे और आवाज की पहचान को नियोजित करता है, श्रम लागत को कम करता है और दक्षता में सुधार करता है। एआई के उपयोग से, सुअर फार्मों से सुअर पालकों की श्रम लागत 30% से 50% तक कम हो जाएगी और फीड की आवश्यकता कम होगी।

(ग) प्रिसिजन कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) :

IoT-आधारित प्रिसिजन कृषि में मार्गदर्शन प्रणाली, वेरिबल रेट टेक्नोलॉजीज (VRT), और ड्रोन शामिल हैं। ये प्रौद्योगिकियां रोपण, उर्वरक और सिंचाई पर सटीक डेटा प्रदान करके संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करती हैं, लागत कम करती हैं और उत्पादकता बढ़ाती हैं।

(घ) **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी** : ईआरपी सॉफ्टवेयर, जिसे माइक्रॉप द्वारा उदाहरण देकर समझाया गया है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, खेतों को पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुकूल बनाने, दक्षता बढ़ाने और डाटा-संचालित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, ब्लॉकचेन खाद्य ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करता है। वॉलमार्ट द्वारा ब्लॉकचेन को अपनाना खाद्य गुणवत्ता के मुद्दों का पता लगाने, त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने की इसकी क्षमता का उदाहरण है।

निष्कर्ष

डिजिटल परिवर्तन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना न केवल एक अवसर है बल्कि सतत विकास के लिए एक आवश्यकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को पाट कर, हम इन क्षेत्रों की क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, आजीविका में सुधार कर सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। □

अब उपलब्ध
नये कलेवर, आकार, सभी रंगीन पृष्ठों और नए स्तम्भों के साथ



हिन्दी साहित्य विषय के प्रतियोगियों के लिए उपयोगी
आज ही अपनी प्रति खरीदें

सदस्यता के लिए स्कैन करें



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
वेब साइट: publicationsdivision.nic.in

गाँवों में आर्थिक विकास को बढ़ावा

-डॉ हरेन्द्र राज गौतम



कृषि में धन और प्रौद्योगिकी के अधिक निवेश की आवश्यकता है क्योंकि कृषि विकास में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की वृद्धि से विकासशील देशों में सबसे कम तीन आय वर्ग के लोगों की आय में औसतन 2.7 प्रतिशत की वृद्धि होती है। गरीबों की आय बढ़ाने में गैर-कृषि निवेश की तुलना में कृषि में निवेश 2.5 से 3.0 गुना अधिक प्रभावी है। गाँव में कृषि पर ध्यान केंद्रित करके विकास का सुपर आर्थिक मॉडल हो सकते हैं।

भारतीय गाँवों की आत्मनिर्भरता का विचार सबसे पहले 1830 में सर चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। महात्मा गाँधी ने यथार्थवादी तरीके से 'ग्राम स्वराज' की संकल्पना की और एक आदर्श गाँव की अवधारणा की कल्पना 'एक पूर्ण गणतंत्र जो अपनी-अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र हो' के रूप में की। इसलिए भविष्य में किसी भी प्रकार का संतुलित विकास गाँवों से शुरू करना होगा जिसमें किसान इसके प्राथमिक लाभार्थी होने चाहिए।

गाँव भारत की जीवन रेखा हैं क्योंकि देश की 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 25-30 प्रतिशत का योगदान देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 'कृषि', आय और रोजगार का मुख्य स्रोत है क्योंकि 47 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों को सूक्ष्म आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकता है जो आत्मनिर्भर रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।

डॉ. वर्गीस कुरियन ने ग्रामीण विकास के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ़ रुरल मैनेजमेंट, आणंद (आईआरएमए) की स्थापना की और उनके दृष्टिकोण से अमूल का सृजन हुआ, जो विभिन्न डेयरी उत्पादों के लिए फार्म आधारित प्रसंस्करण, दूध की ब्रांडिंग और विपणन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि तेजी से कृषि विकास वाले विकासशील देशों में गरीबी दर और अल्पपोषण की घटनाओं में सर्वाधिक कमी आई है। कृषि में धन और प्रौद्योगिकी के मामले में अधिक निवेश की आवश्यकता है क्योंकि कृषि विकास में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की वृद्धि से विकासशील देशों में सबसे कम तीन आय वर्ग के लोगों की आय में औसतन 2.7 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

गरीबों की आय बढ़ाने में गैर-कृषि निवेश की तुलना में कृषि में निवेश 2.5 से 3.0 गुना अधिक प्रभावी है। गाँव में कृषि पर ध्यान केंद्रित करके विकास का सुपर आर्थिक मॉडल हो सकते

लेखक डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रह चुके हैं।
ई-मेल : hrg_mpp@yahoo.com

हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मडौग गाँव है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है और लगभग 400 लोगों की आबादी के साथ भारत के समृद्ध गाँवों में से एक है। इस गाँव के किसान हर साल 2.0 लाख से अधिक सेब की पेटियों का उत्पादन करते हैं और अधिकांश किसान परिवार अपना सेब 1-2 करोड़ रुपये के बीच बेचते हैं जिससे इस गाँव ने प्रसिद्धि हासिल की है।

ग्रामीण विकास में बजटीय आवंटन

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था' के लिए बजटीय आवंटन को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सहयोग के तहत व्यय शामिल है। निवेश के अवसरों की प्राथमिकता पर एक आईएफपीआरआई अध्ययन ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश गरीबी को कम करने और कृषि विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

वर्ष 2023-24 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,59,964 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) जैसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।

वर्ष 2023-24 के बजट में फ्लेगशिप कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के लिए आवंटन 13,336 रुपये से बढ़ाकर 14,129 करोड़ रुपये कर दिया गया। 'कृषि' जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख विकास कारक है, को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। जल जीवन मिशन, जिसका लक्ष्य हर घर में सीधे जल आपूर्ति प्रदान करना है, को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 70,000 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन प्राप्त हुआ। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए 77,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए कृषि ऋण प्रवाह को 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया और ऋण के परिणियोजन और वितरण को निर्बाध बनाने के लिए, सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया है। सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के माध्यम से कृषि में ढांचागत विकास को अधिक प्रोत्साहन दिया है और जिससे कुल मिलाकर ₹ 13,681 करोड़ की 18,321 से अधिक परियोजनाओं ने वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड ने वर्ष 2021-22 के दौरान 2.68 लाख करोड़ रुपये का सर्वकालिक उच्च पुनर्वित्त संवितरण भी किया है।

*RSETI-Rural Self Employment Training Institutes

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल सृजन

सार्वक रोजगार सृजन हेतु कौशल और प्रौद्योगिकियों के समावेश के साथ गाँवों का कायाकल्प करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को रहने और कार्य करने के लिए एक बेहतर स्थान बनाया जा सके। कृषि श्रमिकों और किसानों के लिए काम की कमी की अवधि के दौरान उपयुक्त आजीविका के अवसर सुनिश्चित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। उभरती हुई ज्ञान प्रधान अर्थव्यवस्था की माँगों को पूरा करने के लिए रोजगार की उपलब्धता 'अपरिस्कलिंग' पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है। वर्तमान में, केंद्र सरकार रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएँ लागू कर रही है- जिसमें महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास जबकि मनरेगा सभी आयु वर्ग के अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

वर्ष 2014 में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) विशिष्ट रूप से गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है और इस कार्यक्रम में अब तक 14.51 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजना में, बेरोजगार ग्रामीण युवाओं, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकियों से अवगत रखने के लिए समय-समय पर कौशल उन्नयन के लिए विकास सहायता प्रदान की जाती है। एक बार उचित रूप से प्रशिक्षित होने के बाद, युवाओं को अपने जीवन-स्तर को बढ़ाने के लिए लाभदायक सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए सहयोग दिया जाता है और इस तरह समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में मदद मिलती है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs)* को राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा प्रचारित और प्रबंधित किया जाता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भी कौशल भारत मिशन का एक हिस्सा है और ग्रामीण युवाओं के कौशल-आधारित प्रशिक्षण को संभव बना रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक और पहल है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना- 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' को भी मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा के गाँवों में

बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।

गैर-कृषि क्षेत्र की नौकरियों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की आवश्यकता

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को कृषि आधारित औद्योगीकरण द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो धीरे-धीरे गैर-कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकता है। इसके लिए फसल कटाई के बाद की ग्रामीण गतिविधियों जैसे कृषि प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और परिवहन में निवेश की आवश्यकता होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच एक मजबूत संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। इस तरह के जुड़ाव से कृषि क्षेत्र को बाजार-संचालित वस्तुओं का उत्पादन करने, परिवहन लागत कम करने, फार्म गेट पर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने और कृषि अपशिष्ट को कम करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण को विकसित करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। देश भर में 63.4 मिलियन एमएसएमई इकाइयाँ फैली हुई हैं, जिनमें से 324.88 लाख (51.25 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में और 309 लाख (48.75 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में हैं। वे लगभग 111 मिलियन श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। चूंकि एमएसएमई अधिशेष कृषि श्रम को अवशोषित करते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद करते हैं और सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और माध्यमिक एवं तृतीयक क्षेत्रों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वन सीमांत गाँवों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता

भारतीय वन सर्वेक्षण (2019) का अनुमान है कि कुल 650,000 गाँवों में से लगभग 26 प्रतिशत को वन सीमांत गाँवों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जहाँ वन महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक और आजीविका की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अनुसार, ये गाँव देश की कुल आबादी के लगभग 22 प्रतिशत का घर थे और वनवासियों की लगभग 60-70 प्रतिशत आय लघु वन उपज (एमएफपी) के संग्रह और बिक्री पर निर्भर करती है जो उनके निर्वाह स्तर की आय का हिस्सा है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 300 मिलियन आदिवासी और अन्य स्थानीय लोग अपने निर्वाह और आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। भारत में पौधों की 3,000 प्रजातियों की अनुमानित विविधता है, जिनसे एमएफपी आदिवासी लोगों और अन्य वनवासियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पंचायत प्रावधानों का अधिनियमन (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (पंचायत एक्सटेंशन ओवर शिड्यूलड एरियाज एक्ट 1996) अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और सभाओं को लघु वन उपज के स्वामित्व और गाँव के बाजारों का प्रबंधन करने और ऐसी योजना के लिए स्थानीय योजनाएं और संसाधन पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। इस दिशा में आगे विकास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन है, जिसने अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को लघु वन उपज के संग्रहण, उपयोग और निपटान के लिए



स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया है। 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य शृंखला के विकास' के तहत वन धन योजना 2018 में, राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के साथ, देश की जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शुरु की गई।

गाँवों को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देना

वर्तमान में, यात्रा और पर्यटन उद्योग 14 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जिसके 2027 तक 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन के लिए गाँवों में आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जो विकास को बढ़ावा देगा और समुदाय-आधारित मूल्यों और उत्पादों को संरक्षण और बढ़ावा देते हुए नौकरियों के नए अवसर तथा आय पैदा करेगा। ग्रामीण पर्यटन में गाँवों को महानगरों और बड़े शहरों से स्वतंत्र, सूक्ष्म-आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित करने की क्षमता होती है और साथ ही, यह किसानों की बाजारों तक सीधी पहुँच बनाने में मदद कर सकता है।

ग्रामीण पर्यटन का विकास सिर्फ एक अवसर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया में गाँवों और छोटे शहरों की भूमिका को ऊपर उठाने का लक्ष्य भी होना चाहिए। विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) द्वारा 2022, दुनिया भर के 32 गंतव्यों को 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2022' के रूप में नामित किया गया। गाँवों का मूल्यांकन, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यटन विकास और मूल्य शृंखला समावेशन, प्रशासन और पर्यटन की प्राथमिकता, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित नौ क्षेत्रों वाले मानदंडों पर किया गया।

भारत सरकार ने भी लगभग समान मानदंडों के साथ ऐसी पहल शुरु की है। हिमाचल के जनजातीय किन्नौर जिले के चितकुल गाँव को इस वर्ष का भारत का सर्वश्रेष्ठ 'पर्यटन गाँव' चुना गया है जो सुरम्य किन्नौर घाटी में स्थित है, जिसकी पृष्ठभूमि में राजसी किन्नोर कैलाश है और जिसके एक तरफ से बसपा नदी बहती और बर्फ से ढके पहाड़ इस गाँव का अद्भुत नजारा बनाते हैं। चितकुल पर्यटकों और ट्रैकर्स के लिए एक 'स्वर्ग' के रूप में उभरा है और बड़ी संख्या में पर्यटक इस यात्रा स्थल तक पहुँचने के लिए लाइन लगा रहे हैं। भारत प्रकृति की प्रचुरता से समृद्ध ऐसे हजारों गाँवों से सुशोभित है और इन गाँवों में आगंतुकों के ठहरने के लिए आरामदायक आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है।

स्मार्ट गाँव

गाँवों में कृषि प्राथमिक व्यवसाय है जिसमें गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों

के समावेश के साथ पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए स्टार्टअप प्रमुख प्रौद्योगिकी सृजन केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, विभिन्न कृषि कार्यों के लिए ड्रोन, आईसीटी अनुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ हैं जो देश के कृषि उद्योग को बदलने की क्षमता रखती हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप प्रेसीजन खेती, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और बाजार लिंकेज सहित कृषि के विभिन्न पहलुओं के लिए अभिनव समाधान विकसित कर रहे हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ उत्पादकता में सुधार, लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। 'कल के गाँव' एक ऐसी पहल है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने ग्रामीण क्षेत्र में असमानताओं को कम करने और लिंग संवेदनशील डिजिटलीकरण विकसित करने के लिए तुर्की स्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ट्रेडयोल के साथ मिलकर डिजाइन किया है। यह परियोजना ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ाने और पायलट ग्रामीण बस्तियों को समग्र और टिकाऊ केंद्रों के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार के वर्ष 2023 के बजट में, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 'कृषि त्वरक निधि' पेश की गई है।

कृषि रसायन, उर्वरक और बीज जैसे कृषि आपूर्ति प्रदाता भी कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसी स्मार्ट तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। 1,000 से अधिक ऐसे एग्रीटेक स्टार्टअप हैं जो खेती की तकनीकों को बेहतर बनाने में किसानों की सहायता कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने किसानों की वित्त, इनपुट और सलाहकार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योनो कृषि ऐप विकसित किया है।

कृषि में प्रमुख हिस्सेदारी वाली एक अन्य महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय कंपनी- इंडियन टोबैको कंपनी पिछले 20 वर्षों से सीधे खेत से खरीद का विस्तार करने के लिए अपने ई-चौपाल नेटवर्क का उपयोग कर रही है। इसने अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि और संबंधित सेवाएं प्रदान करके किसानों की आय और कृषि उत्पादों की कुशल खरीद को बढ़ावा देने के लिए एक सुपर ऐप- आईटीसी MAARS (उन्नत कृषि ग्रामीण सेवाओं के लिए मेटा मार्केट) लॉन्च किया है। हमारे ग्रामीण परिवृश्य में समृद्धि लाने के लिए, हमें पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दी गई ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (PURA) की अवधारणा को अपनाने की जरूरत है। इसमें शहरी क्षेत्रों के बाहर आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण केंद्रों में शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को विकसित करने का आह्वान किया गया है। इनमें बेहतर सड़क नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा तंत्र शामिल हैं।

आत्मनिर्भर गाँव में कृषि की भूमिका

-गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

-डॉ. शम्भूनाथ सिंह

कृषि विकास से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। देश का कृषि क्षेत्र जितना अधिक धारणीय, विकसित और समावेशी होगा, ग्रामीण भारत का विकास उतना ही उत्कृष्ट होगा। कृषि क्षेत्र की संवृद्धि के बिना ग्रामीण आत्मनिर्भरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, चूंकि कृषि और कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

कृषि अभी भी हमारे देश की जीवनरेखा बनी हुई है। देश का समग्र विकास कृषि क्षेत्र का विकास किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देश की सतत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सफल अनुसंधान परिणामों, उन्नत तकनीकों, कम समय में अधिक उपज देने वाली एवं जलवायु अनुकूल किस्मों और उन्हें किसानों तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा है।

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। यह न केवल भारत की जीडीपी का छठवां भाग निर्मित करता है बल्कि देश की 42 प्रतिशत आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में लगा यह विशाल जनबल केवल उत्पादक ही नहीं, अपितु देश को सबसे बड़ा बाजार देने वाला उपभोक्ता वर्ग भी है। कृषि क्षेत्र देश की 140 करोड़ आबादी को खाद्य सुरक्षा और 39 करोड़

लेखक गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्रकूट में असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) और सहलेखक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी में एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन) हैं। ई-मेल : gajendra10.1.88@gmail.com



पशुधन को चारा प्रदान करता है। यह गरीबी निवारण, पोषण सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, पारिस्थितिकीय स्थायित्व, पर्यावरणीय संतुलन और ग्रामीणों की गैर कृषि आय को आधार प्रदान करता है। अतः कृषि विकास को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर' ग्रामीण भारत का स्वप्न साकार कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आत्मनिर्भर गाँवों के संकल्प से निर्धारित होता है। अतीत में आत्मनिर्भर गाँवों का सिद्धांत ही भारत को 'सोने की चिड़िया' कहने का मुख्य कारण था। परंतु उपनिवेशवादी नीतियों ने आत्मनिर्भर गाँवों के संकल्प को तहस-नहस कर दिया। कालांतर में कृषि लाभ में निरंतर कमी, बेहतर रोजगार की व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता, जीवन के लिए भौतिक सुविधाओं की सुलभता, आधुनिक सुख-सुविधाओं आदि की कमी ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को गाँवों से विवर्तित करके भारतीय शहरों में स्थापित कर दिया था।

देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन में तेजी आई है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान भारत में रिवर्स माइग्रेशन भी व्यापक पैमाने पर हुआ है, जिसने ग्रामीण आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को उजागर किया है, जिसके लिए ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाना होगा। इसके लिए बेहतर अवसर और सुविधाओं की सुलभता, परिवहन और संचार अवसंरचना, रोजगार और आजीविका प्रबंधन, आवासन और स्वच्छता का विकास आवश्यक है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश में वृद्धि, उद्यमों में उद्यमिता, उपभोक्ता समुदाय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेरणा आदि के रूप में ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है और इस दिशा में कृषि क्षेत्र का संवर्धन बड़ी भूमिका अदा कर सकता है।

सहकारी कृषि से ग्रामीण समृद्धि : सहकारिता पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ की भावना पर आधारित है। यह समावेशी और संपोषणीय विकास का पर्याय है। हम सहकारी कृषि को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का स्वप्न साकार कर सकते हैं; सहकारिता ग्रामीण औद्योगीकरण का स्वप्न भी साकार कर सकती है। सहकारिता से छोटे उद्यमों की संपर्क शक्ति बढ़ेगी। उन्हें विभिन्न नजदीकी बाजार मिल सकेंगे, वित्त सुविधा मिलेगी और वे वृहद् स्तर पर काम कर सकेंगे। इससे वे अधिक रोजगार दे सकेंगे। सहकारिता से बाजारों में आपसी साझेदारी बढ़ जाती है।

नए उद्यमों और संसाधनों के बारे में ज्ञान के लिए सहकारी संपर्क अत्यंत आवश्यक है। छोटे उद्यम प्रायः बड़ी मशीनों का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं, जबकि सहकारी संपर्क से उन्हें तत्काल समाधान मिल सकता है। सहकारी प्रगति से लैंगिक भेदभाव भी खत्म होता है। एक नए उद्यमी विचार रखने वाला कोई भी पुरुष या महिला आसानी से उद्यम शुरू कर सकता है। सहकारिता से

छोटे व मझोले उद्यमों में महिलाओं के लिए कई सुअवसर निश्चित किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। कृषि उत्पादन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहकारिता आधारित मॉडल सर्वाधिक अनुकूल एवं व्यवहार्य मॉडल हैं।

सहकारिता ग्रामीण भारत को उद्यमोन्मुखी बनाकर न केवल समग्र विकास कर सकती है, बल्कि शहरों पर आबादी के अनावश्यक दबाव को कम कर शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है। आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है और बड़ी संख्या में मानव श्रम का स्थान मशीनें ले रही हैं। इस मशीनीकरण और ऑटोमेशन से हमारी बड़ी आबादी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जबकि सहकारिता ऐसी समस्याओं से निपटने में सक्षम है।

आज सहकारिता ने अपनी उद्यम संस्कृति से देश में हर तरफ आपूर्ति शृंखलाएं स्थापित की हैं, चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो या फिर उपभोग क्षेत्र हो, बैंकिंग, खुदरा, विपणन, आवास, कृषि, खरीद, निर्माण, आजीविका सहित उद्यमिता के हर क्षेत्र में सहकारिता का हस्तक्षेप है। भारत में सहकारिता श्वेतक्रांति की सफलता का आधार रही है और इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भी बनाया है।

'वोकल फॉर लोकल' स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देकर उनकी विशिष्टता को देश-विदेश तक पहुंचाने का अभियान है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इससे एक तो विदेशी निर्भरता कम होगी और दूसरा, देश में आय, उत्पादन व रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे। सहकारिता इसको सार्थक दिशा दे सकती है, क्योंकि 'वोकल फॉर लोकल' अर्थव्यवस्था के लिए तभी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, जब देश के लोगों में देशी उत्पादों के प्रति अपनापन हो, जैसा कि जापान के नागरिकों में है, और यह अपनापन 'सहकारिता' से पैदा होता है क्योंकि सहकारी उद्यमों में जो उत्पादक होते हैं, वही मालिक, विक्रेता और उपभोक्ता होते हैं। इसलिए उनमें उत्पादों के प्रति अपनापन होता है और वह उत्पादों की ब्रांडिंग भी करते हैं। इसके अलावा, सहकारी उत्पादों की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट होती है।

भारत सरकार ने तृणमूल स्तर पर सहकारिता को मजबूत करने के लिए अगले 3 वर्षों में 63 हजार प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण हेतु 2516 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और परंपरागत भूमिकाओं के अतिरिक्त पैक्स के क्रियाकलापों में 25 नई गतिविधियों को शामिल किया गया है, ताकि वे परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप मांगों को पूरा कर सकें। कर रियायतों के तहत सरकार ने 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक आय अर्जन वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि सभी

चीनी सहकारी मिलों को किसानों के गन्ने का अधिकतम मूल्य चुकाने पर अतिरिक्त आय को करमुक्त कर दिया गया है। सहकार-आधारित विकास मॉडल को गति प्रदान करने हेतु सहकारी संस्थानों को, पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए, 'गारंटी फंड ट्रस्ट योजना' में सदस्य उधारकर्ता संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है।

सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में एनसीडीसी देश में सहकारी उद्यमिता का पारितंत्र विकसित करने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। जैसे सहकारी उद्यम सहयोग व नवाचार में 'युवा सहकार', स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कवर करने वाली 'आयुष्मान सहकार', महिला सहकारी समितियों की सहायता के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

कृषि स्टार्टअप से बढ़ती ग्रामीण उद्यमिता : एग्री स्टार्टअप की वृद्धि को भारतीय कृषि में 'आशा की किरण' कहा जा रहा है, क्योंकि ये कृषि के विभिन्न पहलुओं के लिए नवोन्मेषी समाधान विकसित कर रहे हैं। किसी कंपनी या अस्थायी संगठन के रूप में शुरू किए गए उद्यम या नए व्यवसाय को 'स्टार्टअप' कहते हैं। 'स्टार्टअप' किसी कंपनी के संचालन के पहले चरण को संदर्भित करता है। ये एक ऐसे उत्पाद या सेवा का विकास करना चाहते हैं जो बाजार में मांग और विकास की संभाव्यता धारित करते हैं। एग्री स्टार्टअप सटीक खेती, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बाजार लिंकेज सहित कृषि के विभिन्न पहलुओं के लिए अभिनव समाधान विकसित कर रहे हैं। ये उत्पादकता में सुधार, लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। चूंकि भारत में लघु एवं सीमांत किसान निम्न आय, बढ़ते कर्ज, एकल-फसल संस्कृति, अनौपचारिक उधारदाता, उत्पाद कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति से जूझ रहे हैं, और जो किसान कृषि क्षेत्र में उद्यम करना चाहते हैं, उनके पास उचित निवेश, विपणन चैनल और ज्ञान उपलब्ध नहीं है। ऐसे माहौल में एग्री स्टार्टअप कृषि विविधीकरण और किसानों की आय में वृद्धि का माध्यम बन रहे हैं। एग्री स्टार्टअप किसानों को न्यूनतम स्थान और श्रम की आवश्यकता रखने वाले माइक्रो-फार्म इंस्टॉलेशन के साथ कृषि उद्यम के कार्यों हेतु सशक्त बना रहे हैं। यह कृषि विविधीकरण किसानों को वर्ष भर आय अर्जित करने, अपनी आय बढ़ाने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार लाने और संवहनीय कृषि प्रणालियों को अपनाने में मदद कर रहा है। इंटरनेट के बढ़ते

प्रयोग के साथ एग्री स्टार्टअप कृषक समुदायों के बीच जागरूकता की वृद्धि कर रहे हैं और उन्हें व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों के नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, जहाँ उनकी उपज के लिए उच्च मूल्य प्राप्त होने के अवसर उपलब्ध होते हैं। आपूर्ति श्रृंखला मंचों में तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप कृषि उद्यम में संलग्न किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त लाइव इनपुट सामग्री की आपूर्ति मिल रही है। फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप के उदय के साथ देश का ऋण परिदृश्य बदल रहा है और साख सुविधाओं से वंचित रहे लघु एवं सीमांत किसान अब औपचारिक संस्थानों से निम्न ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि स्टार्टअप देश की कृषि उद्यमिता में आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी देश में मान्यता प्राप्त एग्रीटेक स्टार्टअप 1485 हैं लेकिन कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2013 तक देश में केवल 43 कृषि स्टार्टअप कंपनियां थी जिनकी संख्या बढ़कर अब 4979 हो गई है। खाद्य प्रसंस्करण में 1774, जैविक कृषि में 474, पशुपालन और डेयरी में 130, बागवानी में 48, मत्स्य पालन में 22 से अधिक कृषि स्टार्टअप सक्रिय हैं। हालांकि अभी एग्री स्टार्टअप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकारी पहलों से स्टार्टअप पारितंत्र में निरंतर सुधार हो रहा है। सरकारी प्रोत्साहन एवं हस्तक्षेप के साथ नियमित डिजिटल रूपांतरण भारत में कृषि मॉडल को मजबूत कर सकते हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप और नवाचार का संयोजन भारतीय कृषि की गतिशीलता को बदल कर एक भविष्योन्मुखी मॉडल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा संकट के साथ भारतीय कृषि के लिए आवश्यक है कि वह पारंपरिक विकास मॉडल से एक नए भविष्योन्मुखी एवं संवहनीय मॉडल की ओर आगे बढ़े। कृषि क्षेत्र में नियमित सकारात्मक परिवर्तन कृषक समुदाय को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। जबकि एग्रीटेक फर्मों को प्रोत्साहन तथा डिजिटल अवसरचना और नवीन तकनीकों के लिए समर्थन एक उत्कृष्ट कृषि विकास मॉडल की शुरुआत कर सकता है।

कृषि शिक्षा और विस्तार सेवाएं : शिक्षा किसी व्यवस्था की अंतर्निहित क्षमता और कार्यप्रणाली को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही व्यवस्था को तार्किक, आधुनिकीकृत और वैज्ञानिक बनाती है और आवश्यक ज्ञान एवं कौशल उपलब्ध कराती है। देश की कृषि व्यवस्था में अब तक हुए मौलिक परिवर्तन कृषि शिक्षा और विस्तार सेवाओं के ही परिणाम हैं और आज भी कृषि क्षेत्र को उत्कृष्टता तक पहुँचाने के लिए शिक्षा, विस्तार सेवाएं, शोध और तकनीक की आवश्यकता है। वैज्ञानिक शिक्षा और तकनीक कृषि विकास के इंजन हैं। अनाज आयातक से अनाज निर्यातक देश बनने तक के सफर में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

कृषि क्षेत्र की प्रगति में हरितक्रांति से सदाबहार क्रांति तक

शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तकनीक और विस्तार सेवाओं ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। कृषि शिक्षा और विस्तार सेवाओं के बल पर पिछले 7 दशकों में हमने खाद्यान्न उत्पादन में 6.5 गुना, बागवानी उत्पादन में 13 गुना, दूध उत्पादन में 13 गुना, मछली उत्पादन में 21.6 गुना, अंडों के उत्पादन में 70.7 गुना वृद्धि अर्जित की है जिसका राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हुआ है। कृषि में शिक्षा और विस्तार सेवाओं ने न केवल देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि कृषि में उद्यमिता और नवाचारों का समावेशन भी किया है, जिसके चलते गाँवों में उद्यम संस्कृति का विकास हुआ है। इससे गाँवों में गरीबी की गहनता घटी है और खाद्य सुरक्षा बढ़ी है।

पिछले कुछ दशकों में तकनीक और विस्तार सेवाओं से भारतीय कृषि में उल्लेखनीय बदलाव आया है और शोध एवं तकनीकों में कृषि क्षेत्र को उत्कृष्टता तक पहुँचाने के लिए दीर्घकालिक संभावना निहित है। इससे बीज की समस्याओं, कीट और रोग की समस्याओं, फसल स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सिंचाई की समस्याओं, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में शोध, तकनीकों और विस्तार सेवाओं का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है।

हालांकि देश भर में फैले 101 आईसीएआर संस्थाओं, 71 कृषि विश्वविद्यालयों, 876 कृषि कालेजों, 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का नेटवर्क वैज्ञानिक उपलब्धियों और विस्तार सेवाओं को किसानों तक पहुँचा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) है। इसके माध्यम से कृषि शिक्षा और विस्तार सेवाओं ने वैज्ञानिक उपलब्धियों को 'प्रयोगशाला से खेत तक' पहुँचाया है। एनएआरएस पिछले 4 दशकों से पारंपरिक कृषि के परिवर्तन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र को उत्कृष्टता प्रदान कर रहा है। यह कृषि क्षेत्र में हरितक्रांति से इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति से सदाबहार क्रांति का मुख्य वाहक रहा है और अब जीन क्रांति की ओर अग्रसर है।

भारत सरकार भी अब इनपुट इंटेन्सिव से नॉलेज इंटेन्सिव कृषि को बढ़ावा दे रही है। सरकार कृषि शोध को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रुडेंट रेडी (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना) कार्यक्रम, कृषि में युवाओं को आकर्षित करने हेतु आर्या योजना, आत्मा योजना, कृषोन्नति योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है। समय के साथ तकनीक और विस्तार सेवाओं का दायरा भी बढ़ा है। पहले सरकार पोषित अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और सार्वजनिक उपक्रम कृषि के तौर-तरीकों के लिए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख हितधारक थी। लेकिन आज निजी स्टार्टअप, देशी कंपनियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और निजी कंपनियाँ भी शामिल हैं, जो कृषि अनुसंधान एवं विकास पर

काफी निवेश कर रहे हैं और इन सबके चलते वैज्ञानिक कृषि तरीकों के अपनाए जाने के कारण कृषि उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है।

कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा : कृषि ग्रामीण भारत की गरीबी निवारण और खाद्य सुरक्षा का प्रमुख माध्यम है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का आह्वान किया था, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों को पाने के लिए कृषि की भूमिका को ही आवश्यक माना गया है। देश में 1950 के दशक की शुरुआत से खाद्यान्न की पैदावार बढ़कर 50.82 मिलियन टन से वर्ष 2022-23 में 329.68 मिलियन टन हो गई है यानी पिछले 7 दशकों में 6.5 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन कृषि की मौजूदा प्रगति से कृषि और कृषकों की आय व स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके चलते दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद देश की कुल आबादी का छठवाँ हिस्सा अल्पपोषित अथवा भुखमरी का शिकार है।

हालांकि पिछले 72 वर्षों में कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें हरित क्रांति का काफी योगदान रहा है जिसने व्यापक रूप से गेहूँ और चावल जैसे खाद्यान्नों की उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र की संभाव्य क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाया है। कृषि क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी समस्या कम उपज की रही है। भारत की कृषि उपज विकसित देशों की तुलना में 35 से 50 प्रतिशत कम है। इसके लिए कई कारणों को जिम्मेदार माना जा सकता है। उदाहरण के लिए औसत कृषि आकार, खराब बुनियादी ढांचा, सर्वोत्तम कृषि तकनीक का कम उपयोग, निरंतर कीटनाशक के उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी, मिट्टी के कटाव व मृदा में कार्बन की कमी की वजह से उत्पादकता और खेती में कमी आ रही है। जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन का मानना है कि वर्ष 2050 तक भारत में खाद्यान्न की मांग में 60 से 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसे कृषि के मौजूदा स्वरूप से पूरा कर पाना संभव नहीं है।

विस्तार सेवाओं और शोध एवं तकनीक की बढ़ती उपलब्धियों से किसान साल-दर-साल पैदावार बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। आईसीएआर दलहन व तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर भी अग्रसर है। जिसके तहत दलहन व तिलहन की किस्मों में समय व सिंचाई दोनों की बचत का ध्यान रखा जा रहा है। प्रयोगशाला और खेत के बीच की दूरी को कम करने के उपायों पर भी काम किया जा रहा है। यद्यपि देश में कृषि अनुसंधान का क्षेत्र काफी विकसित है। फिर भी कृषि की समकालिक आवश्यकताओं को पहचान कर उन पर शोध किए जाने की ज़रूरत है।

फिलहाल भारत की आबादी 1.04 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जिसके वर्ष 2030 तक 1.5 अरब तक पहुँचने का अनुमान है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में अनेक समस्याएँ हैं। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ़ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत इन चुनौतियों के बीच अपनी विशाल आबादी का पेट भरने के लिए तैयार है? भारत आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख है। यदि इस दिशा में कृषि के विकास को अग्रसर किया जाए तो कृषि क्षेत्र में निहित संभावनाएँ ग्रामीण भारत को गरीबी और भुखमरी से निजात दिला सकती हैं।

जलवायु अनुकूल कृषि : जलवायु परिवर्तन की व्यापकता के चलते विश्व के बढ़ते तापमान से भारत जैसे कृषि प्रधान देशों की स्थिति पर अधिक आंच आने की आशंका है, क्योंकि देश का पारितंत्र मानसून पर निर्भर करता है, जिस पर अभी भी देश की कृषि और कृषक आश्रित हैं। ऐसे में मौसम की अनियमितता से जीविका व जीवन दोनों पर संकट बना रहता है। उच्च तापमान फसल की अवधि को छोटा, प्रकाश संश्लेषण में बदलाव, फसल श्वसन दर में वृद्धि और रोगजनकों की आबादी को भी प्रभावित करेगा। जलवायु परिवर्तन पोषक तत्वों को जैविक से गैर-जैविक में बदलता है और उर्वरक उपयोग की क्षमता को भी प्रभावित करता है। वाष्प उत्सर्जन बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फसल, पानी और मृदा पर पड़ता है क्योंकि ये पानी की उपलब्धता, सूखे की तीव्रता, सूक्ष्मजीव की आबादी, मिट्टी में मौजूद जैविक तत्वों में कमी, कम पैदावार, मृदा अपरदन के चलते मिट्टी की उर्वरा शक्ति में गिरावट आदि को प्रभावित करता है। वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में चेतावनी दी गई थी कि जलवायु परिवर्तन के कारण वार्षिक कृषि आय में 15 से 18 प्रतिशत और गैर-सिंचित क्षेत्रों की उपज में 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। 21वीं सदी के मध्य तक दक्षिण एशियाई देशों में कृषि पैदावार में 30 प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान है, क्योंकि तापमान में केवल एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से मक्के की उत्पादकता 7.4 प्रतिशत, गेहूँ की 6 प्रतिशत, चावल की 6.2 प्रतिशत और सोयाबीन की उत्पादकता 3.1 प्रतिशत कम हो जाती है। लेकिन यदि मौजूदा तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो अनाज के उत्पादन में 20 से 40 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। चूँकि भारत में करोड़ों लोगों का जीवनयापन जलवायु की अनुकूलता से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब परंपरागत कृषि पैटर्न में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ, खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन से भूमि की उर्वरता घट रही है, जिसका

उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। दूसरी तरफ, देश में किसानों के पास कृषि योग्य भूमि औसतन 1.08 हेक्टेयर (कृषि गणना 2015-16) है। देश के कुल किसानों में 86 प्रतिशत हिस्सा लघु एवं सीमांत किसानों का है जो दो हेक्टेयर से कम भूमि के खेतिहर हैं। ये किसान कई तरह की समस्याएँ जैसे खेती के लिए बीज, खाद, ऋण, खराब परिवहन और बाजार असुविधा की समस्या से जूझ रहे हैं। जबकि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत, चावल में 49 प्रतिशत, गेहूँ में 40 प्रतिशत, दाल में 27 प्रतिशत, मोटे अनाज में 29 प्रतिशत है। ऐसे में देश के लघु एवं सीमांत किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाना बहुत आवश्यक है।

जलवायु अनुकूल कृषि एक दृष्टिकोण है जिसमें जलवायु परिवर्तन में भी फसल और पशुधन उत्पादन के जरिए दीर्घकालिक उच्च उत्पादकता और कृषि आय के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना शामिल है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को बचाने के लिए कृषि में जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें सूक्ष्म और समष्टि दोनों ही स्तर पर परिवर्तन करने होंगे। हालांकि जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि पैटर्न में बदलाव के लिए किसानों को तभी तैयार किया जा सकता है, जब उन्हें कृषि पैटर्न में बदलाव लाभ का सौदा महसूस होगा। उदाहरण के लिए यदि किसानों को समझाया जाए कि फसल विविधीकरण कृषि क्षेत्र की ज्यादातर चुनौतियों का समाधान है, इसलिए जलवायु के अनुकूल फसलों का चयन किया जाना चाहिए।

देश को 15 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है और किसानों द्वारा जोन के हिसाब से फसलों का चयन किया जाना चाहिए। अनुकूलन हेतु कृषि की आधुनिक तकनीकों का प्रसार किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने जलवायु अनुकूल कृषि की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए पिछले दो दशकों से आईसीएआर जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को विकसित कर रहा है और अब तक विभिन्न फसलों के लिए करीब 1880 जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ विकसित की गई हैं। पिछले आठ वर्षों (2014-2022) के दौरान आईसीएआर ने 1956 उच्च उपज वाली किस्मों को जारी किया है, जिनमें से 1622 जलवायु अनुकूल किस्में हैं, जिनके उपयोग को बढ़ाना आवश्यक है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) आदि कुछ ऐसे प्रयास हैं, जिन्हें कृषकों की सहायता के लिए लाया गया है।

कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता : देश में आजादी के बाद से ही कृषि सुधार के कई बड़े प्रयासों के बावजूद यह क्षेत्र मानसून की अनिश्चितता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में मानसूनी अनिश्चितता, आय में अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के निदान और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में एआई

सहायक हो सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से आशय कंप्यूटर, रोबोट या किसी अन्य मशीन द्वारा मानव के समान बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन से है। एआई किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता है, जिसमें अनुभवों से सीखना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना और प्रतिक्रिया देना, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना जैसी कई क्षमताओं के संयोजन से मानव के समान ही कार्य कर पाने की क्षमता आदि शामिल है। आजकल एआई का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, परिवहन, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। किसान एआई की मदद से मौसम पूर्वानुमान से मौसम की स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार की फसल उगाना और कब बीज बोना चाहिए। किसान एआई तकनीकों से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, पौधों के कीटों व बीमारियों का पता लगा सकता है, और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उर्वरक उपयोग की सलाह ले सकता है। मशीन लर्निंग यह निर्धारित करती है कि किसी क्षेत्र की विशेषताओं को कैसे देखा जाना चाहिए, जबकि रोबोट कृषि मशीनरी को बुद्धिमानी से नियंत्रित कर उचित कार्रवाई करने में मदद करता है।

प्रौद्योगिकी संपूर्ण कृषि मूल्य शृंखला के साथ-साथ खेती में संभावनाएं खोल रही है। एआई उन प्रौद्योगिकियों में से एक है जो कृषि में बेहतरी के लिए परिवर्तन ला रही है। कृषि में एआई अनुप्रयोगों के लिए ऐसे ऐप्स और उपकरण तैयार किए गए हैं जो किसानों को जल प्रबंधन, फसल चक्र, समय पर कटाई, खेती

योग्य फसल के प्रकार, इष्टतम रोपण, कीटों के हमले पर उपयुक्त सलाह देकर विनियमित खेती करने में सहायता करते हैं। जिन किसानों के पास इंटरनेट तक पहुँच नहीं है, वे एसएमएस सक्षम फोन और सोविंग ऐप जैसी तकनीकों का उपयोग करके एआई से लाभ उठा सकते हैं। वाई-फाई कनेक्टिविटी वाले किसान अपने खेतों के लिए एआई अनुकूलित योजना प्राप्त करने के लिए एआई कार्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं। कृषि आय में गिरावट के कारण इस क्षेत्र को श्रमिकों द्वारा बहुत ही कम प्राथमिकता दी जाती है जिसके चलते कृषि क्षेत्र में कार्यबल की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। श्रमिकों की इस कमी को दूर करने में एआई कृषि बाट्स एक उपयुक्त समाधान हो सकते हैं। साथ ही, फसल व मिट्टी की निगरानी, कीट व पौध संरक्षण, पशुधन स्वास्थ्य निगरानी, स्वचालित निराई, हवाई सर्वेक्षण, इमेजिंग, ग्रेडिंग आदि में भी एआई के बहुमुखी उपयोग संभव हैं। इस तरह, एआई कृषि क्षेत्र में सबसे सरल से लेकर जटिलतम कार्यों को निष्पादित कर सकती है।

भारत सरकार द्वारा किसानों को बेहतर परामर्श उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर 'एआई संचालित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल' के विकास पर कार्य किया जा रहा है। चूंकि खाद्यान्न की बढ़ती मांग को संभालने के लिए पारंपरिक तरीके पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए एआई लगातार कृषि उद्योग में तकनीकी विकास कर रहा है। एआई संचालित समाधान न केवल किसानों को दक्षता सुधारने में सक्षम बना रहे हैं, बल्कि फसलों और पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में भी सुधार कर रहे





हैं। फोर्ब्स का अनुमान है कि एआई और मशीन लर्निंग सहित स्मार्ट कृषि पर वैश्विक खर्च वर्ष 2025 तक तीन गुना बढ़कर 15.3 बिलियन डॉलर हो जाएगा। जबकि कृषि में एआई बाजार का आकार 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की गति से बढ़कर वर्ष 2026 तक 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। हालांकि भारतीय कृषि तकनीक बाजार का वर्तमान मूल्य 225 मिलियन यूएस डॉलर है, जिसके वर्ष 2022 से 2028 के दौरान 24 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है।

भारत में मृदा के प्रकार, जलवायु और स्थलाकृति विविधता के कारण भारतीय खेत और किसान न केवल भारत बल्कि विश्व में बड़े पैमाने पर एआई समाधान बनाने में सहायता के लिए व्यापक और समृद्ध डेटा प्रदान करते हैं। यह उन प्रमुख कारकों में से एक है जो भारतीय कृषि में एआई के लिए उपलब्ध अवसरों को अद्वितीय बनाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कृषि में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आदि नई तकनीकों को पेश करने के लिए राज्यों को क्रमशः 1756.3 करोड़ और 2422.7 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की थी। जबकि नई प्रौद्योगिकियों के विकास, किसानों को नई तकनीक अपनाने, किसान के खेत में उनके प्रदर्शन व क्षमता निर्माण हेतु कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए आईसीएआर को वर्ष 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 7302.50 करोड़ और 7908.18 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

कुल मिलाकर, कृषि विकास से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। देश का कृषि क्षेत्र जितना अधिक धारणीय, विकसित और समावेशी होगा, ग्रामीण भारत का विकास उतना ही उत्कृष्ट होगा। कृषि क्षेत्र की संवृद्धि के बिना ग्रामीण आत्मनिर्भरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, चूंकि कृषि और कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कृषि आधारित

उद्योग सामान्यतः वे उद्योग होते हैं जिनका कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें कच्चे माल की प्रसंस्करण गतिविधियों, कृषि आदानों के रूप में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक, विनिर्माण और प्रसंस्करण गतिविधियों को शामिल किया गया है। यह ग्रामीण परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए कृषि ग्रामीण विकास का आधार है। कृषि आधारित उद्योग, जो ग्रामीण आर्थिक गतिविधि पर पनपते हैं, वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आय सृजित करते हैं जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासन, गुणवत्तापूर्ण जीवन, उपभोग स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक गरीबी को पूर्णतः खत्म करना और सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना है। जबकि भारत 17 में से 13 लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है, जब ग्रामीण भारत समृद्ध होगा और ग्रामीण भारत की समृद्धि के लिए देश के कृषि क्षेत्र का विकसित और धारणीय होना आवश्यक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के 17 एसडीजी में से 12 एसडीजी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से संबंधित हैं। इनमें से एसडीजी 2 (भुखमरी का खात्मा) सीधे कृषि को संबोधित है, जबकि एसडीजी 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 और 15 परोक्ष रूप से कृषि से संबंधित हैं।

संक्षेप में, कृषि और इससे जुड़े कार्यबल को धारणीय और विकसित बनाए बिना हम न तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समुचित विकास कर सकते हैं और न ही आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि देश की बढ़ती आबादी के सापेक्ष 2050 तक खाद्यान्न की मांग में 70 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि 900 मिलियन टन बागवानी उत्पादों की जरूरत होगी, जिसकी भरपाई कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार से ही संभव है। इसलिए विकास के समावेशन व स्थायित्व के लिए कृषि क्षेत्र को धारणीय और विकसित बनाना अपरिहार्य है। □

पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर

भारत के परंपरागत शिल्प ने न केवल भारत को विश्व मंच पर एक अलग पहचान दी है बल्कि पर्यटकों को भी हमारे शिल्प बेहद लुभाते हैं। ये ग्रामीण शिल्प अपने आप में एक कुटीर उद्योग हैं और उत्कृष्ट कौशल, उद्यमिता और आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सदियों से महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर इस पुश्तैनी कार्य को करती आ रही हैं और इस तरह ग्रामीण हस्तशिल्प और उनसे सम्बद्ध कौशल महिला सशक्तीकरण के भी पर्याय बनते जा रहे हैं।

सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधताओं से परिपूर्ण हमारे देश के पारंपरिक शिल्प भारतीय संस्कृति को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। हमारे स्वदेशी बुनकर और कारीगर हथकरघा और हस्तशिल्प के माध्यम से भारत की सदियों पुरानी पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए हैं। भारत के परंपरागत शिल्प ने न केवल भारत को विश्व मंच पर एक अलग पहचान दी है बल्कि पर्यटकों को भी हमारे शिल्प बेहद लुभाते हैं। ये ग्रामीण शिल्प अपने आप में एक

कुटीर उद्योग हैं और उत्कृष्ट कौशल, उद्यमिता और आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सदियों से महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर इस पुश्तैनी कार्य को करती आ रही हैं और इस तरह ग्रामीण हस्तशिल्प और उनसे सम्बद्ध कौशल महिला सशक्तीकरण के भी पर्याय बनते जा रहे हैं।

हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र हैं, जो लगभग 65 लाख दस्तकारों और बुनकरों को आजीविका प्रदान करते हैं। इनमें देश भर में हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत 25.46 लाख महिलाएं और हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत 20 लाख महिलाएं शामिल हैं।

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- हथकरघा हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया है, जबकि हस्तशिल्प पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं।
- भारत के हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक हथकरघा कामगार और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगर काम करते हैं।
- हथकरघा बुनाई की कला पारंपरिक मूल्यों से जुड़ी हुई है और अपने में हर क्षेत्र की उत्कृष्ट विविधता समेटे हुए है।
- भारत में उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पाद बेहद साधारण कौशल एवं कारीगरी के साथ तैयार करने की उत्कृष्ट परंपरा काफी प्राचीन है तथा इसका विश्व में कोई सानी नहीं है।
- ये उत्पाद मात्र कपड़े से बनी कोई सामग्री अथवा पारंपरिक रूप से पहने जाने वस्त्र नहीं हैं अपितु ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के प्रतीक हैं।
- #MyHandloomMyPride सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि भारतीय बुनकरों की आय बढ़ाने, उनकी गरिमा बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने का एक अभियान है।
- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तैयार किए गए शानदार हथकरघा उत्पादों के लिए भारत सरकार ने 'हैंडलूम मार्क' योजना शुरू की है।
- हथकरघा उत्पादों की पेचीदा कारीगरी ने न केवल इस उत्पाद को अनूठी पहचान प्रदान की है अपितु इसके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी भी है।
- प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त, 2015 को भारत की विकास यात्रा में हथकरघा बुनकरों के योगदान को रेखांकित करने के लिए इस दिन को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की।
- इंडिया हैंडलूम ब्रांड का शुभारम्भ भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किया गया। उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' योजना शुरू की गई है। इसका मकसद उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उन्हें अलग पहचान देने के साथ ही उत्पादों के टिकाऊपन और विशिष्टता को सामने रखना है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत कई तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है ताकि उत्पाद की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।





हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उन व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए जाते हैं जो किसी विशेष शिल्प का अभ्यास करते हैं। अब तक 20 महिला कारीगरों को शिल्प गुरु और 181 महिला कारीगरों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हस्तकला के लिए वार्षिक रूप से 5 राष्ट्रीय पुरस्कार विशेष रूप से महिला कारीगरों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम इंडिया प्रदर्शनी हथकरघा और हस्तशिल्प बुनकरों को अपने उत्पादों को भारत के विभिन्न शहरों में ग्राहकों तक सीधे पहुंचाने के लिए मंच प्रदान करता आ रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड के जरिए यह हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशिष्ट पहल है। हाल ही में हैडलूम हाट, जनपथ, नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों से आए ग्रामीण उद्यमियों ने भाग लिया। हैडलूम हाट में साल भर में ऐसी कई प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं।

सुरबाला एक सफल महिला उद्यमी है। इनके उद्यम में 30 लोग काम करते हैं। सुरबाला ने 2017 में 2-2 लाख रुपये का ऋण क्रमशः मुद्रा योजना और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था। वह मणिपुर की परंपरागत ड्रेस और 'स्मार्ट'* गृह सज्जा का सामान कारीगरों से बनवा कर बेचती हैं। इन्होंने 'स्मार्ट' की तरफ से डिजाइनिंग में ट्रेनिंग ली है। वह कम से कम 30 हजार रुपये/महीना कमा लेती हैं।

रेखा सत्तोगोपाल ने 'जूट क्राफ्ट' के नाम से अपना उद्यम स्थापित किया है। दिल्ली की रहने वाली रेखा जूट से स्वयं भी सामान बनाती हैं और दिल्ली के आसपास के गाँवों के कारीगरों से भी सामान तैयार करवाती हैं। उनका 'जूट क्राफ्ट' का काम अच्छे से चल रहा है और वह कारीगरों को भुगतान के बाद भी अच्छी – खासी कमाई कर लेती हैं।

*Skill management & Accreditation of Training Centers

इसी तरह गुवाहाटी के अंतोला गाँव की मंजूरानी 20 साल से अपना व्यवसाय कर रही हैं। उनका 'ऐरी सिल्क' की हाथ से बनी साड़ी, दुपट्टा, स्टोल आदि बनाने का काम है। 'माँ वीवर्स' के नाम से स्थापित इनके उद्यम में 20 से अधिक लोग कार्यरत हैं। मंजू महीने में 50 हजार रुपये से अधिक कमा लेती हैं। इन्होंने अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन भी लिया था, जिससे उन्हें काफी मदद मिली।

उत्तराखंड के महुआ खेड़ा गंज, काशीपुर, ऊ.सिं. नगर के महबूब अली मैसर्स आधुनिक हथकरघा को-ऑपरेटिव सोसायटी



सुरबाला

लिमिटेड के अंतर्गत हाथ से दरी, चादरें, गद्दे का कपड़ा, तैलिया और ड्रेस आदि बनाने का कार्य करते हैं। बुनाई का उनका यह उद्यम खानदानी कार्य है और इनके उद्यम में 70-80 लोग कार्यरत हैं। सभी खर्च निकाल कर अली 60 हजार रुपये/महीना कमा लेते हैं।

जमशेद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर हथकरघा स्वयंसहायता समूह से संबद्ध है। इस समूह से 20-25 लोग जुड़े हुए हैं। इनका हाथ से बुनी दरी, कालीन आदि बनाने का काम है। इनके उद्यम से आसपास के गाँव के लोगों को कार्य मिल जाता है। यह स्वयं भी 30 हजार/महीना कमा लेते हैं और इनके उद्यम के लिए सामान तैयार करने वाले कारीगर भी दस हजार रुपये/महीना तक कमा लेते हैं।

राजस्थान के लीला का हाथ से बनी कठपुतलियाँ बनाने का पुश्तैनी कार्य है। वह 'पपेट शो' भी करते हैं। लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इस काम में अब इतनी कमाई नहीं है। लीला का कहना है कि कठपुतली का काम धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपने इस पुश्तैनी कार्य को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। उन्हें सरकार से कठपुतली उद्यम के संरक्षण की दरकार है।

प्रदर्शनी में भाग लेने वाले अधिकतर प्रतिभागियों ने उद्यम की शुरुआत करने और उनके कौशल विकास हेतु सरकार की पहलों के प्रति संतुष्टि जाहिर की और स्वीकार किया कि सरकार की मुद्रा योजना से उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने से अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिली। साथ ही, हैंडलूम हाट जैसे प्रमुख प्रदर्शनी स्थलों पर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी से उन्हें अपने उद्यम को बढ़ाने में मदद मिलती है। ऐसी जगहों पर उन्हें ऐसे उपभोक्ताओं तक पहुँचने में मदद मिलती है जो उनके हाथ के



रेखा सत्तोर्गोपाल



काम का अच्छा मूल्य देने के लिए तैयार रहते हैं।

वस्त्र मंत्रालय ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त करते हुए 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल बनाया है। इसी वर्ष अप्रैल में ये पोर्टल लॉन्च किया गया। इस वर्चुअल भारतीय स्टोर के माध्यम से कारीगरों को कीमतों में हेरफेर करने वाले बिचौलियों के बिना उचित पारिश्रमिक मिलेगा। शहर में रहने वाले खरीददार सीधे शत-प्रतिशत प्रामाणिक और सर्वोत्तम हस्तशिल्प उत्पाद खरीद सकेंगे।

भारतीय हस्तनिर्मित पोर्टल वस्त्र, गृह सज्जा, आभूषणों अन्य साजों-सामान सहित उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है। इसके सभी उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित हैं। ये भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। पोर्टल पर बेचे जाने वाले कई उत्पाद पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके बनाए गए हैं। यह पर्यावरण हितैषी उत्पाद लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। यह भारत में हस्तनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप है और भारतीय कारीगरों और उनके शिल्प को खोजने और उनका समर्थन करने का उत्कृष्ट माध्यम है। पोर्टल कुल 62 लाख बुनकरों और कारीगरों को भविष्य के ई-उद्यमी बनने का अवसर भी प्रदान करेगा। □

